



सामाजार्थिक समीक्षा

जनपद हरिद्वार
वर्ष 2012-13



अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय

विकास भवन, रोशनाबाद, हरिद्वार

फोन न0 : 01334-239377

ईमेल : dstoharidwar@gmail.com



प्रस्तावना

नियोजन विभाग, अर्थ एवं संख्या निदेशालय के दिशा निर्देश में "सामाजार्थिक समीक्षा" वर्ष 2012-13 इस श्रृंखला का तेईसवॉ अंक है। इसमें जनपद की आर्थिक प्रगति को प्रस्तुत किया गया है। कुछ आर्थिक क्रियाकलापों में हुई प्रगति को रेखाचित्रों द्वारा दर्शाया गया है। गत वर्ष की पत्रिका में अनुभव की गयी कमियों को दूर करते हुये ऑकड़ों को अधुनान्त करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। आशा है कि इस पत्रिका में प्रकाशित की गई सूचनायें नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, शोधकर्ताओं, अर्थशास्त्रियों एवं विभिन्न राजकीय विभागों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी।

डा० निधि पाण्डेय, जिलाधिकारी एवं श्री वी०एस० धानिक, मुख्य विकास अधिकारी के मार्गदर्शन तथा अन्य विभागीय अधिकारियों के सहयोग के बिना पत्रिका को यह रूप दिया जाना सम्भव नहीं था। जिसके लिए मैं उनका आभारी हूँ।

इस पत्रिका के प्रकाशन में श्री नदीम अहमद, कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट द्वारा इस पत्रिका के प्रकाशन हेतु किये गये प्रयास के लिये वे विशेष प्रशंसा के पात्र हैं तथा अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय के अन्य सहायकों का योगदान सराहनीय रहा।

(राजकुमार अस्थाना)
अर्थ एवं संख्याधिकारी,
हरिद्वार।

सामाजार्थिक समीक्षा प्रकाशन समिति

अध्यक्ष एवं संयोजक
श्री राजकुमार अस्थाना
अर्थ एवं संख्याधिकारी


संख्याविद ,विश्लेषक एवं
कम्प्यूटर ग्राफिक
श्री नदीम अहमद
कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट

टंकण कार्य
श्री देवेन्द्र सिंह बिष्ट
कम्प्यूटर ऑपरेटर

विषय सूची

क्र.सं.	विभाग / अध्याय	पृष्ठ संख्या
1	2	3
	जनपद का मानचित्र	1
1	जनपद का ऐतिहासिक परिचय	2-3
2	खनिज सम्पदा	4
3	प्रशासनिक ढांचा	5-6
4	जनसंख्या विवरण	7-10
5	कृषि	11-15
6	उद्यान	16-17
7	वन	18-19
8	पशुपालन	20-22
9	सहकारिता	23
10	सिंचाई	24-26
11	दुग्ध विकास	27-28
12	मत्स्य विकास	29-30
13	विद्युत	31-33
14	उद्योग	34-36
15	सड़कें परिवहन एवं संचार	37-38
16	बैंकिंग सेवा	39
17	शिक्षा	40-42
18	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	43-44
19	जल सम्पूर्ति	45-51
20	पर्यटन	52-55
21	सेवायोजन	56-57
22	निर्बल वर्ग हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम	58-60
23	शान्ति एवं कानून व्यवस्था	61-62
24	अन्य विभाग	63-70

जनपद का मानचित्र



अध्याय-1 जनपद का ऐतिहासिक परिचय भौगोलिक स्थिति

1.1 उत्तर प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 5-4(1)/72-121-शा0-5 दिनांक 16.12.1988 के अनुसार जनपद हरिद्वार का दिनांक 28-12-1988 को सृजन किया गया। यह जनपद सहारनपुर जनपद की रुड़की एवं हरिद्वार तहसील, मुजफ्फरनगर जनपद की सदर तहसील के 53 तथा बिजनौर जनपद की नजीबाबाद तहसील के 25 ग्रामों को सम्मिलित करके बना है। वर्ष 2001 में उत्तराखण्ड गठन के पश्चात हरिद्वार जनपद को गढ़वाल मण्डल में सम्मिलित कर दिया गया। गंगा यमुना दोआब में स्थित होने के कारण जनपद की अधिकांश भूमि उपजाऊ तथा कृषि फसलों के लिए उपयुक्त है।

1.2 इतिहास वेत्ताओं के अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों तथा सर्वेक्षणों से प्राप्त सामग्री के आधार पर हरिद्वार की तिथि ईसापूर्व लगभग 2 हजार वर्ष आंकी जा सकती है। जनपद में सिन्धु सभ्यता काल का अन्तिम चरण गेरूवे रंग वाले मृदभाण्ड वाली संस्कृति के अवशेष पाये गये हैं।



1.3 स्कन्दपुराण में जनपद हरिद्वार के नगर हरिद्वार को गंगा द्वार, हरिद्वार, मोक्षद्वार, कपिला तथा मायापुरी के नाम से उल्लेखित किया गया है। गीतीकाव्य मेघदूत में महाकवि कालिदास (375-413 ई0) ने कनखल को एक उन्नत नगरी बताया जो अब हरिद्वार का उपनगर है। चीनी यात्री हुएन्सांग ने इसे मो-यू-लो के नाम से पुकारा। सन् 1873 में हरिद्वार नगरपालिका की स्थापना की गई तथा सन् 1885 में हरिद्वार को रेल यातायात से जोड़ दिया गया था।

1.4 कुम्भनगरी हरिद्वार तथा पिरान कलियर जैसे धार्मिक स्थल, आई.आई.टी. रुड़की, बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप का मुख्यालय, केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की, बी0एच0ई0एल0 रानीपुर आदि के कारण जनपद केवल भारतवर्ष में ही नहीं अपितु विदेशों में भी विख्यात है।

1.5 जनपद हरिद्वार का मुख्यालय हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है। इसमें अग्रलिखित धार्मिक दर्शनीय स्थल हैं। ब्रह्मकुण्ड (हर की पौड़ी), मायादेवी, मंसा देवी, गोरखनाथ मंदिर, बिल्केश्वर महादेव, कालिका, चण्डेश्वर, कामेश्वर, व राधाकृष्ण के मंदिर, चण्डी देवी, मकरवाहिनी गंगा मंदिर, दक्षेश्वर मंदिर, माँ आनन्दमयी आश्रम, भीमगौडा आदि हैं।

1.6 स्थिति

जनपद हरिद्वार गंगा नदी के तट पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला की तलहटी में 22° 30' उत्तरी अक्षांश तथा 78°10' पूर्वी देशान्तर में बसा हुआ है। जनपद हरिद्वार के

उत्तर में जनपद देहरादून, दक्षिण में जनपद मुजफ्फरनगर व जनपद बिजनौर पूर्व में जनपद पौड़ी गढ़वाल तथा पश्चिम में जनपद सहारनपुर स्थित हैं।

1.7 क्षेत्रफल

जनपद हरिद्वार का भौगोलिक क्षेत्रफल 2360.00 वर्ग किलोमीटर है। जनपद हरिद्वार का भौगोलिक क्षेत्रफल प्रदेश के क्षेत्रफल का 4.4 प्रतिशत है।

1.8 मिट्टी

खादर क्षेत्र गंगा नदी के किनारे का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर वर्षा ऋतु में बाढ़ आ जाने के कारण आस-पास का क्षेत्र जलमग्न रहता है, जो वर्षा के उपरान्त सूख जाता है। घाड़ क्षेत्र शिवालिक पर्वत श्रृंखला के समान्तर फैला हुआ है। घाड़ क्षेत्र कि भूमि ऊंची-नीची, कंकरीली पथरीली है। जनपद में बलुई, रेतीली एवं दोमट मिट्टी पायी जाती है।

1.9 ऋतु एवं वर्षा

जनपद हरिद्वार की शीतोष्ण जलवायु है। गर्मियों में अधिक गर्मी तथा सर्दियों में अधिक सर्दी होती है। जनपद हिमालय की तलहटी में स्थित होने तथा सघन वन क्षेत्र होने के कारण वर्षा अधिक होती है। वर्ष 2012-13 में औसत वर्षा 1010 मिलीमीटर हुई।

1.10 नदियाँ

1.10.1 पवित्र गंगा नदी गंगोत्री से उद्गमित होकर हिमालय पर्वत माला में 150 किमी० पहाड़ी क्षेत्र का मार्ग तय करके इस जनपद में पहली बार तराई के क्षेत्र में बहती है। यह नदी सतत् प्रवाहित नदी है तथा जनपद के पूर्वी भाग से होकर गुजरती है।

1.10.2 पवित्र नदी गंगा के अतिरिक्त काली नदी, नागादेव, पथरी, सोलानी तथा सोनिया आदि मौसमी नदियाँ हैं जो वर्षाकाल में प्रवाहित होती हैं। उसके उपरान्त अन्य मौसम में सूख जाती हैं।

1.11 भूमिगत जल

जनपद में भूमिगत जल की गहराई 150 फीट से 300 फीट तक है। जनपद में भूमिगत जल पर्याप्त रूप से उपलब्ध है।

Ж Ж Ж Ж Ж

अध्याय-2 खनिज सम्पदा

2.1 खनिज सम्पदा

जनपद में किसी खनिज पदार्थ का खनन नहीं किया जा रहा है। किन्तु नदी के तट से पत्थरों को चुन-चुन कर उन्हें तोड़ने का कार्य किया जा रहा है।



अध्याय-3

प्रशासनिक ढांचा

3.1 जनपद हरिद्वार में तीन तहसील रूड़की, हरिद्वार व लक्सर हैं। रूड़की तहसील के अन्तर्गत विकास खण्ड भगवानपुर, नारसन, रूड़की, तहसील हरिद्वार में केवल एक विकासखण्ड बहादुराबाद तथा तहसील लक्सर के अन्तर्गत दो विकास खण्ड लक्सर व खानपुर हैं।

3.2 विकास खण्ड भगवानपुर का क्षेत्रफल 319.3 वर्ग किमी⁰ (2001 की जनगणनानुसार) है। इस विकास खण्ड में 80 आबाद ग्राम हैं। विकासखण्ड नारसन का भौगोलिक क्षेत्रफल 231.9 वर्ग किमी⁰ (2001 की जनगणनानुसार) है तथा इस विकासखण्ड में 96 आबाद ग्राम हैं। विकासखण्ड रूड़की का भौगोलिक क्षेत्रफल 223 वर्ग किमी⁰ (2001 की जनगणनानुसार) है तथा इस विकासखण्ड में 89 आबाद ग्राम हैं। इस प्रकार तहसील रूड़की में कुल आबाद ग्राम 265 हैं। हरिद्वार तहसील के विकासखण्ड बहादुराबाद का भौगोलिक क्षेत्रफल 478.6 वर्ग किमी⁰ (2001 की जनगणनानुसार) है तथा विकासखण्ड में 113 आबाद ग्राम हैं। विकासखण्ड लक्सर का भौगोलिक क्षेत्रफल 283.6 वर्ग किमी⁰ (2001 की जनगणनानुसार) है तथा विकास खण्ड में 86 आबाद ग्राम है। विकासखण्ड खानपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल 140.3 वर्ग किमी⁰ (2001 की जनगणनानुसार) तथा इस विकासखण्ड में 49 आबाद ग्राम है। इस प्रकार तहसील लक्सर में 135 आबाद ग्राम हैं। 5 वन ग्राम आरक्षित वनक्षेत्र में स्थित हैं। अतः जनपद वर्ष 2011 की जनगणनानुसार कुल 513 आबाद राजस्व ग्राम है।

3.3 इस जनपद में 24 नगर व नगर समूह हैं। जिसमें से हरिद्वार, रूड़की, दो नगर निगम है। मंगलौर नगर पालिका, तथा लक्सर, लढ़ौरा एवं झबरेड़ा टाउन एरिया हैं। ढण्डेरा व मोहनपुर मौहम्मदपुर दो सैन्ससटाउन थे तथा वर्ष 2011 की जनगणनानुसार शाहपुर, भगवानपुर, सैदपुरा, पिरान कलियर, सलेमपुर राजपूताना, सुन्हेरा, शफीपुर, खन्जरपुर, भंगेडीमहावतपुर मस्त, पाडली गुज्जर, नगला इमरती, रावली महदूद, बहादुराबाद, जगजीतपुर को सेंसस टाउन घोषित किया गया है। बी0एच0ई0एल0 रानीपुर, हरिद्वार नोटिफाईड एरिया तथा रूड़की छावनी क्षेत्र है।

3.4 जनपद हरिद्वार का भौगोलिक क्षेत्रफल 2360 वर्ग किमी⁰ है।

3.5 जनपद में कुल 612 ग्राम हैं। 5 वनग्रामों सहित कुल आबाद ग्राम 518 हैं। गैर आबाद ग्रामों की संख्या 94 है।

3.6 जनपद में कुल 46 न्याय पंचायत क्षेत्र व 316 ग्राम सभायें हैं जिनका तहसीलवार एवं विकासखण्डवार विवरण तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1
जनपद हरिद्वार में ग्राम पंचायत क्षेत्र, न्याय पंचायत व ग्राम

तहसील / विकासखण्ड	न्याय पंचायत	ग्राम पंचायत	ग्राम	
			कुल	आबाद
1	3	4	5	6
1. तहसील रूड़की				
1. भगवानपुर	09	57	85	80
2. नारसन	08	59	117	96
3. रूड़की	09	59	106	89
2. तहसील हरिद्वार				
1. बहदराबाद	09	69	129	113
3. तहसील लक्सर				
1. लक्सर	08	49	117	86
2. खानपुर	03	23	53	49
4. वन क्षेत्र	—	—	5	5
योग जनपद हरिद्वार	46	316	612	518

3.7 जनपद में कुल 17 पुलिस स्टेशन है जिनमे से 7 पुलिस स्टेशन ग्रामीण क्षेत्र में 8 पुलिस स्टेशन नगरीय क्षेत्र तथा 2 जी०आर०पी० थाने हरिद्वार व लक्सर में स्थित है।

* * * * *

अध्याय – 4 जनसंख्या विवरण

4.1 क्षेत्रवार जनसंख्या

4.1.1 जनगणना-2001 के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1447187 है। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 1000912 है जो कि कुल जनसंख्या का 69.14 प्रतिशत है। नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 446275 है जो कि कुल जनसंख्या का 30.86 प्रतिशत है। 1991-2001 में जनसंख्या में दशकीय वृद्धि 28.70 प्रतिशत पाई गई।



4.1.2 जनगणना-2011 के अनुसार जनपद की जनसंख्या 1890422 है। जनपद की ग्रामीण जनसंख्या 1197328 है जो कि कुल जनसंख्या का 63.34 प्रतिशत है। नगरीय क्षेत्र की जनसंख्या 693094 है जो कि कुल जनसंख्या का 36.66 प्रतिशत है।

4.2 लिंगवार जनसंख्या

4.2.1 जनगणना-2001 के अनुसार जनपद में 776021 पुरुष तथा 671166 स्त्रियाँ हैं, जिनमें से 68.8 प्रतिशत (534038) पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में तथा 31.2 प्रतिशत (241983) पुरुष नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनपद में 69.59 प्रतिशत (466874) स्त्रियाँ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 30.5 प्रतिशत (204292) स्त्रियाँ नगरीय क्षेत्र में निवास करती हैं।

4.2.2 जनगणना-2011 के अनुसार जनपद में 1005295 पुरुष तथा 885127 स्त्रियाँ हैं, जिनमें से 633784 पुरुष ग्रामीण क्षेत्र में तथा 371511 पुरुष नगरीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। जनपद में 563544 स्त्रियाँ ग्रामीण क्षेत्र में तथा 321583 स्त्रियाँ नगरीय क्षेत्र में निवास करती हैं।

4.2.2 जनगणना 2001 के अनुसार जनपद में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 865 है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर 874 एवं नगरीय क्षेत्र में 844 स्त्रियाँ हैं। जनगणना 1991 की अपेक्षा जनगणना-2001 में जनपद की ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति हजार पुरुषों में 26 स्त्रियाँ व नगरीय क्षेत्र में 03 स्त्रियाँ सहित जनपद में 29 स्त्रियों की प्रति हजार पर वृद्धि हुई। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 880 है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति हजार पुरुषों पर 889 एवं नगरीय क्षेत्र में 866 स्त्रियाँ हैं।

4.3 जातिवार जनसंख्या

4.3.1 जनगणना-2001 के अनुसार जनपद में अनुसूचित जाति के 313976 व अनुसूचित जनजाति के 3139 व्यक्ति हैं जो कि कुल जनसंख्या का 21.91 प्रतिशत है। अनुसूचित जाति व जनजाति की जनसंख्या 317115 में से ग्रामीण क्षेत्र में 263420 (83.07 प्रतिशत) तथा नगरीय क्षेत्र में 53695 (16.93 प्रतिशत) व्यक्ति निवास करते हैं। विकास खण्ड बहादुराबाद में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की 91.88 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है।

4.3.2 जनगणना-2001 के अनुसार विकास खण्डवार विश्लेषण करने पर यह तथ्य दृष्टिगोचर होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति की जनसंख्या विकास खण्ड बहादुराबाद में सबसे अधिक 24.63 प्रतिशत तथा विकास खण्ड खानपुर में सबसे कम 3.87 प्रतिशत निवास करती है।

4.3.3 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या 411274 में से 307320 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 103954 जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है। जनपद में कुल अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 6323 है जिनमें से 5249 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 1074 जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में निवास करती है।

4.4 दशकीय वृद्धि

4.4.1 1981-91 के दशक में जनपद की जनसंख्या में 25.95 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि गढ़वाल मण्डल व प्रदेश स्तर पर यह वृद्धि क्रमशः 21.6 व 24.23 प्रतिशत है।

4.4.2 वर्ष 1991-2001 के दशक में जनपद की जनसंख्या में 28.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जबकि गढ़वाल मण्डल व प्रदेश स्तर पर यह वृद्धि क्रमशः 19.20 प्रतिशत है।

4.4.3 वर्ष 1991-2001 के दशक में जनपद की जनसंख्या वृद्धि जनपद हरिद्वार के समीपस्थ जनपद देहरादून में 24.71, टिहरी गढ़वाल में 16.15 व पौड़ी गढ़वाल में 3.87 प्रतिशत है।

4.4.4 वर्ष 2011 के दशक में जनपद की जनसंख्या व 30.63 प्रतिशत वृद्धि हुई।

तालिका 4.1

जनपद हरिद्वार की जनसंख्या तथा दशकीय वृद्धि की समीपस्थ जनपदों की तुलना।

वर्ष	हरिद्वार	टिहरी गढ़वाल	पौड़ी गढ़वाल	देहरादून
1	2	3	4	5
1981	32.30	24.67	15.27	30.93
1991	25.95	16.59	9.05	54.6
2001	28.69	16.15	3.87	24.71
2011	30.63	-	-	-

4.5 जनसंख्या का घनत्व

4.5.1 जनगणना-2001 के अनुसार जनपद हरिद्वार में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि०मी० 613 है जबकि उत्तराखण्ड प्रदेश में यह प्रति वर्ग कि०मी० 159 है।

4.5.2 जनगणना-2001 के अनुसार जनसंख्या का घनत्व इस जनपद के समीपस्थ जनपद देहरादून में 436, टिहरी गढ़वाल में 159 व पौड़ी गढ़वाल में 131 व्यक्ति प्रति वर्ग कि०मी० है।

4.5.3 जनगणना 2011 के अनुसार जनपद हरिद्वार में जनसंख्या का घनत्व प्रति वर्ग कि०मी० 801 है।

4.6 साक्षरता प्रतिशत

4.6.1 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 62.33 प्रतिशत है। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 68.78 व स्त्रियों में प्रतिशत 55.01 है।

4.6.2 वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद में साक्षरता का प्रतिशत 52.16 है। पुरुषों में साक्षरता का प्रतिशत 60.03 व स्त्रियों में 42.64 है।

4.6.3 विकासखण्डवार विश्लेषण करने पर जनगणना 2011 के अनुसार विकासखण्ड लक्सर 59.07 साक्षरता प्रतिशत के साथ प्रथम स्थान पर तथा विकासखण्ड खानपुर में 54.34 साक्षरता प्रतिशत के साथ अन्तिम स्थान पर है। पुरुषों में साक्षरता प्रतिशत विकासखण्ड लक्सर में सबसे अधिक 67.16 प्रतिशत तथा विकासखण्ड खानपुर में सबसे कम 62.33 प्रतिशत है। स्त्रियों में साक्षरता विकासखण्ड बहादुराबाद में सबसे अधिक 50.14 प्रतिशत तथा विकासखण्ड खानपुर में सबसे कम 45.43 प्रतिशत है।

4.6.4 जनगणना 2001 के अनुसार जनपद के समीपस्थ जनपद देहरादून में 76.98 प्रतिशत, टिहरी गढ़वाल में 66.73 प्रतिशत व पौड़ी गढ़वाल में 77.49 प्रतिशत व्यक्ति साक्षर पाये गये है।

4.7 जनसंख्या का आर्थिक वर्गीकरण

4.7.1 जनपद में जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार कुल कर्मकरों की संख्या 578121 है जिसमें 497810 पुरुष तथा 80311 स्त्री है। ग्रामीण कर्मकरों की संख्या 359251 है, जिसमें 308299 पुरुष तथा 50952 स्त्री है। मुख्य कर्मकरों के अन्तर्गत कृषक 87950, कृषि श्रमिक 75953, पारिवारिक उद्योग 14924, तथा 316325 अन्य कर्मकर है। इसी प्रकार सीमान्त कर्मकरों के अन्तर्गत कृषक 5710 कृषि श्रमिक 27162 पारिवारिक उद्योग 5031 तथा अन्य कर्मकरों के अन्तर्गत 45066 कर्मकर है।

4.8 जनसंख्या का आवासीय प्रकार

4.8.1 विकास की प्रक्रिया के अध्ययन के सन्दर्भ में जनसंख्या के आवासीय प्रकार की जानकारी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। वर्ष 2011 में जनपद में कुल 612 ग्राम हैं जिनमें से 513 आबाद ग्राम है एवं 94 गैर आबाद ग्राम तथा 5 वन बस्तियाँ हैं।

तालिका-4.2

जनपद हरिद्वार में विकासखण्डवार जनसंख्या के अनुसार वर्गीकरण

विकासखण्ड	जनसंख्या का वर्गीकरण (2011)							कुल ग्रामों की संख्या
	5000 व उससे अधिक	2000 से 4999	1000 से 1999	500 से 999	200 से 499	100 से 199	100 से कम संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
भगवानपुर	11	35	15	11	3	2	3	80
नारसन	10	27	24	14	11	2	8	96
रूडकी	11	27	22	11	10	—	8	89
बहादुराबाद	16	33	25	12	8	6	13	113
लक्सर	5	29	18	22	7	1	4	86
खानपुर	—	8	13	10	9	2	7	49
वनग्राम	1	2	1	—	1	—	0	5
जनपद हरिद्वार	54	161	118	80	49	13	43	518

तालिका 4.3
जनपद हरिद्वार में जनसंख्या के वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकृत नगर
(2011)

क्र० सं०	जनसंख्या का वर्गीकरण	नगरक्षेत्र तथा श्रेणी	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग० किमी०)	जनसंख्या
1	2	3	4	5
1	100000 से अधिक	1. हरिद्वार नगर निगम 2. रूड़की नगर निगम	15.07 7.74	231338 118200
2	50000 से 99999	मंगलौर नगर पालिका परिषद	1.32	52971
3	20000 से 49999	1. लक्सर नगर पंचायत 2. ढण्डेरा सैन्सस टाउन 3. बी०एच०ई०एल० रानीपुर	3.32 — 26.94	21760 23276 46948
4	10000 से 19999	1. पिरान कलियर सैन्सस टाउन 2. बहादुराबाद सैन्सस टाउन 3. सलेमपुर राजपूतान सैन्सस टाउन 4. सफीपुर सैन्सस टाउन 5. झबरेडा नगर पंचायत 6. पाडली गुज्जर सैन्सस टाउन 7. सुनेहरा सैन्सस टाउन 8. मौहनपुर मौहम्मदपुर सैन्सस टाउन 9. रूड़की कैन्ट 10. जगजीतपुर सैन्सस टाउन 11. रावली महदूद सैन्सस टाउन 12. लण्डौरा नगर पंचायत	— — — — 0.09 — — — — 9.30 — — — 0.82	10043 10096 10340 11135 11186 12901 13248 14394 14689 15043 17467 18370
5	5000 से 9999	1. सैदपुरा सैन्सस टाउन 2. शाहपुर सैन्सस टाउन 3. नगला इमरती सैन्सस टाउन 4. खंजरपुर सैन्सस टाउन 5. भगवानपुर सैन्सस टाउन 6. भंगेडी महावतपुर मुस्त सैन्सस टाउन	— — — — — —	5640 5684 5774 6435 7573 8583

* * * *

अध्याय-5 कृषि

5.1 कृषि एवं सम्वर्गीय सेवायें

5.1.1 भूमण्डलीयकरण के इस दौर में देश में सेवा सम्वर्ग का प्रथम स्थान होने के उपरान्त भी हमारी अर्थ व्यवस्था में कृषि एवं सम्वर्गीय खण्ड का महत्त्वपूर्ण स्थान है। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद में कुल मुख्य कर्मकरों के अन्तर्गत 495152 कृषक, 87950 कृषि श्रमिक तथा सीमान्त कर्मकरों के अन्तर्गत 5710 कृषक तथा 27162 कृषि श्रमिक है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु वित्तीय संसाधन सुलभ कराने के साथ-साथ नवीनतम वैज्ञानिक कृषि विधियों एवं उपकरणों की जानकारी सुलभ कराने हेतु प्रदर्शनियों के आयोजन, बीज, उर्वरक, कीटनाशक औषधियों आदि आवश्यक कृषि निवेशों की ससमय सम्पूर्ति की व्यवस्था, फसल सुरक्षा तथा आवश्यक कृषि निवेश जुटाने हेतु उपादान एवं ऋण की व्यवस्था जैसे अनेक उपाय जनपद में किये जा रहे हैं।



कृषि एवं सम्वर्गीय सेवायें :- जनपद में कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता में बृद्धि हेतु कृषि विभाग द्वारा संचालित केन्द्र पोषित, राज्य पोषित, जिला सेक्टर योजनाओं के माध्यम से निम्नवत् कार्य कराये गये।

केन्द्र पोषित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन :- इसके अन्तर्गत 200 है० क्षेत्र में अधिक उपजदायी प्रजातियों धान पी.बी.-6 एवं नरेन्द्र 359 के क्लस्टर डिमांस्ट्रेशन कराया गया, साथ ही संकर प्रजातियों के प्रचार-प्रसार हेतु 80 है० क्षेत्र में संकर धान पी.ए. 6444 का प्रदर्शन कराया गया। सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपयोगिता एवं आवश्यकता के तहत 8895 है० में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कराया गया। फसलों में लगने वाले कीटरों के निदान हेतु 7244 है० में कृषि रक्षा रसायन/जैविक रसायन वितरित किया गया। आधुनिक कृषि यंत्रों का कृषि कार्य में प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु 9 सीड ड्रिल, 388 रोटोवेटर, 22 लेजर लैण्ड लेबलर 408 स्प्रे मशीन एवं 22 पावर वीडर अनुदान पर वितरित किया गया। सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने हेतु 53 वाटर लिफ्टिंग पम्प अनुदान पर वितरण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न फसल स्तरों पर 44 कृषक प्रशिक्षण आयोजित कर कृषकों को फसलोत्पादन में नवीन तकनीक की जानकारी प्रदान की गयी। योजना के तहत कुल 23741 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

केन्द्र पोषित मैक्रोमोड योजना :- इस योजना के अन्तर्गत दलहनी, तिलहनी बीज अनुदान पर वितरित किये गये तथा 830 कृषकों को गेहूँ उन्नत प्रजाति पी.बी.डब्ल्यू. 550 का मिनिक्विट वितरण कराया गया। कृषि यंत्र प्रोत्साहन के अन्तर्गत 10 ट्रैक्टर, 1 पावर टीलर, 176 हैरो, 86 कल्टीवेटर तथा 16 मल्टीक्राप थ्रेसर क्रय पर अनुदान वितरित किया गया।

शत्रु कीटों से बचाव हेतु 276 लाइट ट्रेप रेगुलर मॉडल विद् बिलास्ट का निःशुल्क वितरण किया गया। इस योजना के अन्तर्गत कुल 1594 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

पोस्ट हार्वेस्ट टैक्नोलॉजी मैनेजमेंट योजना :- इसके अन्तर्गत 53 कृषकों को मल्टीक्राप थ्रेसर क्रय पर ₹ 32000.00 प्रति थ्रेसर की दर से राजकीय अनुदान वितरित किया गया। जिससे विभिन्न फसलों की मडाई का कार्य शीघ्रातिशीघ्र सम्पादन करने में सुविधा मिली।

जैविक कार्यक्रम :- जनपद में लगभग 8000 है० क्षेत्र में बासमती धान का उत्पादन किया जा रहा है। जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु तथा स्वच्छ पर्यावरण के लिये कम्पोस्ट खाद उत्पादन हेतु जनपद के प्रत्येक अटल आदर्श ग्राम में बर्मी सेन्टर की स्थापना करायी गयी साथ ही 388 बर्मी कम्पोस्ट पिट एवं 74 नाडेप पिट अनुदान पर बनवाये गये तथा 16 ग्राम स्तरीय कृषक प्रशिक्षण आयोजित कराये गये।

जिला योजना :- जनपद में प्रति विकासखण्ड दो-दो ग्रामों, कुल 12 ग्रामों का चयन किया गया। जिसमें सर्वप्रथम खेतों की मिट्टी का परीक्षण (1200 नमूने) कराया गया। जिसके अनुसार कृषकों ने संतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर कृषि उत्पादन में बृद्धि प्राप्त किया तथा उत्पादन लागत में बचत भी प्राप्त हुयी। जनपद में चयनित ग्रामों के असक्य अनुसूचित जाति कृषक परिवारों को उनकी मांग के अनुसार 41 कृषि यंत्र अनुदान पर वितरित किये गये। जिसका उपयोग समूह के रूप में कृषकों द्वारा किया जा रहा है, साथ ही 759 है० क्षेत्र में कीट रोगों का निदान तथा 391 है० में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग कराया गया। उन्नत प्रजातियों के 1290 मिनिक्किट कृषकों में वितरित किये गये।

कृषि निवेशों की उपलब्धता एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करना :- जनपद में 46 न्याय पंचायत स्तरीय कृषि विभाग के बिक्री केन्द्रों से खरीफ में 427.26 कुन्तल धान, 80 कुन्तल उर्द तथा 6366.20 कुन्तल गेहूँ, 13.60 कुन्तल दलहन तथा 3.34 कुन्तल तिलहन के गुणात्मक बीज अनुदान पर वितरित किये गये। इसी प्रकार योजना के अन्तर्गत 1732 कुन्तल सूक्ष्म पोषक तत्व/जिंक सल्फेट एवं 30 कुन्तल जैविक कल्चर अनुदान पर वितरित किये गये। जनपद में रसायनिक उर्वरकों के गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कुल 50 उर्वरक नमूनों आहरित कर परीक्षण कराया गया।

आत्मा योजना :- इस योजना अन्तर्गत फसल प्रदर्शन, कृषक प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट (जनपद के अन्दर जनपद से बाहर तथा राज्य से बाहर) कराया गया। मत्स्य, बागवानी, उद्यान पशुपालन एवं कृषि के फार्म स्कूल संचालित किये जा रहें हैं। जिसमें विभाग से सम्बन्धित नवीनतम क्रियाकलापों के ट्रायल/प्रदर्शन होते हैं। जनपद के उत्कृष्ट कृषकों का विभिन्न स्तर पर पुरस्कार वितरण भी किया जाता है।


5.2 उर्वरक

5.2.1 विभिन्न फसलों के कुल एवं औसत उत्पादन की वृद्धि में रासायनिक उर्वरकों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वर्ष 2012-13 में 28643 मी०टन उर्वरक का उपभोग किया गया है। इसमें से 22424 मी०टन नाइट्रोजन, 5465 मी०टन फास्फोरस व 754 मी०टन पोटाश के रूप में उपभोग किया गया है।

तालिका 5.1

जनपद हरिद्वार में उर्वरक वितरण (मी० टन)

वर्ष	नाइट्रोजन	फास्फोरस	पोटाश	कुल
1	2	3	4	5
2010-11	20579	5745	1113	27437
2011-12	26143	7284	1660	35087
2012-13	22424	5465	754	28643



5.3 भूमि उपयोग

5.3.1 वर्ष 2010-11 में जनपद का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 243151 हैक्टेयर है जिसमें 84537 हैक्टेयर वन, 1890 हैक्टेयर कृषि योग्य बंजर भूमि, 2741 हैक्टेयर भूमि वर्तमान परती, 3755 हैक्टेयर भूमि अन्य परती, 2731 हैक्टेयर ऊसर और कृषि अयोग्य भूमि, 27834 हैक्टेयर कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गयी भूमि, 75 हैक्टेयर चारागाह तथा 1600 हैक्टेयर उद्यानों वृक्षों का क्षेत्रफल है। जनपद का शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल 117988 हैक्टेयर है।

5.3.2 वर्ष 2010-11 में 117988 हैक्टेयर शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल व 48942 हैक्टेयर एक से अधिक बार बोया गया क्षेत्रफल सहित सकल बोया गया क्षेत्रफल 166930 हैक्टेयर है।


5.3.3 वर्ष 2010-11 में जनपद में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 109560 हैक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 153828 हैक्टेयर है।

5.3.4 वर्ष 2010-11 में जनपद में कुल प्रतिवेदन क्षेत्रफल का 34.77 प्रतिशत क्षेत्रफल वनों से आच्छादित है। शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का 48.52 प्रतिशत है।

तालिका 5.2
जनपद हरिद्वार में भूमि उपयोगिता के आंकड़े

मद	वर्ष				
	06-07	07-08	08-09	09-10	2010-11
1	2	3	4	5	6
1. कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल	231115	243186	243162	243162	243151
2. वन	72431	84537	84537	84537	84537
3. कृषि योग्य बंजर भूमि	1641	1684	1716	1439	1890
4. वर्तमान परती	2487	3497	2761	2894	2741
5. अन्य परती	3566	3320	3780	3945	3755
6. ऊसर और कृषि अयोग्य	2373	2216	2773	2814	2731
7. कृषि के अतिरिक्त अन्य उपयोग में लायी गई भूमि	27330	27580	27395	27728	27834
8. चारागाह	58	59	68	70	75
9. उद्यानों, वृक्षों का क्षेत्रफल	879	2011	1756	774	1600
10. शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल	120350	118282	118376	118961	117988
11. एक बार से अधिक बोया गया क्षेत्रफल	47004	42689	52488	52089	48942

जनपद हरिद्वार में भूमि उपयोगिता




5.4 फसल सघनता

5.4.1 वर्ष 2010-11 में जनपद का सकल बोया गया क्षेत्रफल शुद्ध बोये गये क्षेत्रफल का 141.48 प्रतिशत है।

5.5 फसल उत्पादन

5.5.1 फसल की उत्पादकता एवं उत्पादन में वृद्धि पर्याप्त सीमा तक उन्नतशील बीजों के प्रयोग पर निर्भर होती है। जनपद में विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से उन्नतशील किस्मों के बीजों की सामयिक पूर्ति की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है। कीट एवं बीमारियां फसलों के कुल एवं औसत उत्पादन को पर्याप्त सीमा तक दुष्प्रभावित करती हैं। अतः इस दिशा में विभिन्न अभिकरणों तथा विशेष रूप से विकास खण्ड स्तरीय कृषि रक्षा इकाइयों द्वारा कीट एवं बीमारियों का प्रकोप होते ही उनकी तुरन्त रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाये जाते हैं।



5.5.2 जनपद हरिद्वार में धान, गन्ना, गेहूँ, मक्का, मसूर, उर्द, चना, लाही, मूंगफली, आलू एवं तम्बाकू की मुख्य फसलें हैं। जनपद में प्रमुख फसलों के उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े तालिका 6.3 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 5.3
जनपद में कतिपय प्रमुख फसलों की औसत उपज

मद	औसत उपज (कुन्तल/हैक्टेयर)					गत वर्ष की अपेक्षा 2010-2011 में प्रतिशत वृद्धि
	वर्ष					
	06-07	07-08	08-09	09-10	2010-11	
1	2	3	4	5	6	7
गेहूँ	27.40	25.91	27.73	27.27	25.56	-6.27
चावल	17.86	22.87	21.55	22.02	16.06	-27.06
मक्का	11.82	12.23	16.55	20.11	18.57	-7.7
मसूर	8.07	4.52	6.93	5.93	8.08	41.83
उर्द	3.59	8.57	4.50	5.14	5.30	3.11
चना	6.67	7.00	5.50	7.06	7.75	9.77
गन्ना	623.77	623.65	517.00	603	603	-
आलू	87.36	295.73	202.20	220.37	158.77	-27.95
लाही	7.69	9.14	9.18	9.17	7.80	-14.94
मूँगफली	11.76	4.91	14.14	14.82	10.83	-26.92

5.5.3 कृषि फसलों के सकल उत्पादन वृद्धि के लिए कृषि उपादानों के बेहतर उपयोग द्वारा उनकी औसत उपज में वृद्धि करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। इस दिशा में प्राप्त परिणामों के दिग्दर्शन हेतु तालिका 5.3 में कतिपय प्रमुख फसलों की औसत उपज दर्शायी गयी है।

❖ ❖ ❖ ❖

अध्याय-6 उद्यान

6.1 उद्यान विकास

6.1.1 जनपद हरिद्वार की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के अनुसार यहाँ पर फल एवं सब्जियों, आलू, फूलों व मसाला फसल का उत्पादन काफी अच्छा होता है। यहाँ पर फलों में मुख्य रूप से आम, लीची, अमरूद, पपीता व आंवला का उत्पादन होता है तथा सब्जियों में टमाटर, फूलगोभी, बन्द गोभी, करेला लौकी, कददू व मटर का उत्पादन विशेष रूप से किया जाता है। इसके अतिरिक्त आलू व मसाला फसलों (अदरक, हल्दी) का उत्पादन भी काफी मात्रा में होता है।



6.1.2 जनपद में फल, सब्जी, आलू, मसाला फसलों व फूलों की खेती को और अधिक प्रोत्साहन एवं विस्तार करने के उद्देश्य से कृषकों की सहायता के लिए प्रत्येक विकास खण्ड में उद्यान सचल केन्द्रों की स्थापना की गयी है जिसके माध्यम से विभागीय योजनाओं व कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। वर्तमान में जनपद के छः विकास खण्डों में स्थापित विभागीय इकाइयों का विवरण निम्नवत है।

तालिका 6.1

जनपद में स्थापित विभागीय इकाइयों का विवरण

क्रम संख्या	विकास खण्ड का नाम	उद्यान सचल दल केन्द्र का नाम	फल संरक्षण केन्द्र का नाम	राजकीय उद्यान
1	2	3	4	5
1	बहादुराबाद	1.बहादुराबाद 2.गैण्डीखाता 3.सोहेलपुर	हरिद्वार	
2	रुड़की	4.रुड़की 5.धनौरी	रुड़की	
3	भगवानपुर	6.भगवानपुर 7.इकबालपुर 8.तेलीपुरा		राजकीय उद्यान सिकन्दरपुर
4	नरसन	9.नारसन		
5	लक्सर	10.लक्सर 11.सुल्तानपुर		
6	खानपुर	12.खानपुर		

6.1.3 हॉर्टिकल्चर टैक्नोलाजी मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम में 75 प्रतिशत अनुदान, सब्जी, मशाला व फूलों के उत्पादन पर नलकूप की स्थापना हेतु 50 प्रतिशत अनुदान, पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार, वर्मी कमपोस्ट इकाई की स्थापना में अनुदान दिया जाता है, जिला योजना के अन्तर्गत 50 प्रतिशत राजसहायता पर कीट व्याधि नाशक रसायन व शत-प्रतिशत ढुलान पर राजसहायता उपलब्ध कराई जाती है।

6.1.4 एच.एम.एन.ई.एच. (केन्द्र पोषित) योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 में इस अधिष्ठान द्वारा आम 75 है० लीची 50 है०, अमरूद 50 है०, क्षेत्रफल में आंवला 40 है० एवं केला 16 है० के कुल 231 है० उद्यान स्थापित कराये गये।

6.1.5 सब्जी उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 120.00 है० क्षेत्रफल में गोभी बर्गीय फसल एवं मटर व मिर्च का उत्पादन कार्यक्रम आयोजित कराया गया।

6.1.6 मसाला उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत अदरख 10 है०, मिर्च 20 है० व हल्दी 30 है०, कुल 60 है० क्षेत्रफल का उत्पादन कराया गया।

6.1.7 इस प्रकार पुष्प उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत गुलाब 10 है० व गेंदा 10 है० कुल 20 है० क्षेत्रफल में पुष्पों का उत्पादन कराया गया।

6.1.8 आर्गेनिक फार्मिंग हेतु कृषकों को प्रोत्साहन प्रदान किया गया है।

6.1.9 इसके अतिरिक्त 260 है० में पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार कराया गया। सिंचाई व्यवस्था हेतु 67 टूबवेल लगाये गये इसके अतिरिक्त 12 वर्मी कम्पोस्ट एवं 14000 वर्ग मी० पाली हाउस स्थापित कराये गये।

6.1.10 जिला योजनान्तर्गत लगभग 60 है० क्षेत्रफल में उद्यानीकरण का कार्य कराया गया।

6.1.11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में लगभग ₹ 60.00 लाख से लगभग 350 है० क्षेत्रफल में सब्जी कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में पाली हाउस निर्माण वर्मी कम्पोस्ट यूनिट, प्रिजरवेसन यूनिट, पैक हाउस निर्माण कराये गये एवं सब्जी फल, पुष्प, मसाले फसलों एवं मधुमक्खी, मसरूम एवं फल संरक्षण कार्य हेतु कृषकों को प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये गये।

6.1.12 फल संरक्षण केन्द्रों द्वारा सब्जी एवं फल संरक्षण कार्य कराया गया।

6.1.13 सब्जी पुष्प एवं फल फसलों में कीट एवं ब्याधियों की रोकथाम हेतु कार्य किया गया।

6.1.14 राजकीय उद्यान में उन्नत किस्म की फल पौध रोपण सामग्री उत्पादित की गई।

तालिका 6.2 उद्यान विभाग की वर्षवार प्रगति

क्र०सं०	मद का नाम	इकाई	2010-11	2011-12	2012-13
1	नये उद्यानों का रोपण क्षेत्र विस्तार	हैक्टेयर	269	395	319
2	सब्जी क्षेत्र विस्तार	हैक्टेयर	52	120	590
3	मशाला क्षेत्र विस्तार	हैक्टेयर	50	80	60
4	पुष्प क्षेत्र विस्तार	हैक्टेयर	10.42	40	20
5	पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार	हैक्टेयर	—	—	260
6	ड्रिप सिंचाई प्रणाली स्थापना	हैक्टेयर	—	—	40
7	स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापना	हैक्टेयर	—	—	11
8	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट स्थापना	संख्या	—	100	12
9	कृषक प्रशिक्षण	संख्या	500	600	253

* * * * *

अध्याय-7 वन

7.1 जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत हरिद्वार वन प्रभाग का विस्तार शिवालिक श्रृंखला में अवस्थित मां चण्डी की पर्वत मालाओं के साथ-साथ मां गंगा की तलहटी से लेकर हरिपुर-खानपुर घाड़ क्षेत्रों तक राजाजी राष्ट्रीय पार्क के क्षेत्र के अतिरिक्त समस्त जनपद हरिद्वार है। प्रभाग के वन क्षेत्र भावर तथा तराई दोनों ही प्रकार के हैं। जनपद के अन्तर्गत वन क्षेत्र 611.6 वर्ग किमी० है।



7.2 जनपद हरिद्वार के अन्दर विभिन्न प्रकार के वन पाये जाते हैं जिनमें शीशम, सागौन, खैर, अर्जुन, यूकेलिप्टस, हरड़, बहेड़ा आंवला के साथ साथ स्थानीय प्रजातियों के वृक्षों के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों, भाभड़ घास एवं गौण वन उपज के साथ-साथ उप खनिज भी बाहुल्यता युक्त है। यह प्रभाग उत्तराखण्ड राज्य में सबसे अधिक राजस्व देने वाले प्रभागों में से एक है। हरिद्वार वन प्रभाग के वन क्षेत्र न केवल वन सम्पत्ति से ही सम्पन्न है अपितु विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों से भी परिपूर्ण है। वन्य प्राणियों में हाथी, गुलदार, हिरन की पांच प्रजातियों-पांडा, काकड, चीतल, सांभर व बारहसिंघा, मगरमच्छ एवं घड़ियाल आदि महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं। प्रभाग के वनों में वर्ष पर्यन्त विभिन्न प्रकार के पक्षी प्रवास करते हैं तथा शीत ऋतु में प्रवासी पक्षी बाहुल्यता में आते हैं। उत्तराखण्ड में बहुत कम संख्या में पाये जाने वाले बारहसिंघा (स्वाम्प डियर) की यह एक मात्र शरणस्थली है जो इस क्षेत्र के अन्तर्गत पाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त लक्सर क्षेत्र के अन्तर्गत बाणगंगा नदी में बहुतायत में मगरमच्छ एवं घड़ियाल भी पाये जाते हैं। प्रकृति से प्राप्त इस बहुमूल्य वन सम्पत्ति व वन्य प्राणी बहुल क्षेत्र होने के कारण यह प्रभाग अति संवेदनशील प्रभागों में से एक है। हरिद्वार वन प्रभाग के अन्तर्गत नियंत्रणाधीन वनों की सुरक्षा हेतु विभागीय कर्मचारियों द्वारा नियमित गश्त कर वनों की सुरक्षा की जा रही है।

7.3 इस वन प्रभाग के अन्तर्गत झिलमिल झील संरक्षण आरक्षित को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

7.4 घायल एवं पीड़ित वन्य जीवों के पुनर्वास के लिए चिड़ियापुर रेंज में गढ़वाल क्षेत्र का एक मात्र रेस्क्यू सेन्टर स्थापित किया गया है।

7.5 वन विभाग के अन्तर्गत वृक्ष निधि एवं वनोपज के आंकड़े निम्नानुसार है।

वृक्ष निधि एवं वनोपज के आंकड़े

क्र.सं.	मद का नाम	वर्ष	इकाई	विवरण
1	2	3	4	5
1	अनुमानित वृक्ष निधि	2012-13	हजार क्यू0मी0	16631.196
2	इमारती लकड़ी का उत्पादन	2012-13	क्यू0मी0 राउन्ड	6189.2617
3	ईंधन लकड़ी का उत्पादन	2012-13	क्यू0मी0 स्टैक	8869.54
4	लीसा उत्पादन	2012-13	कुन्तल	—

Ж Ж Ж Ж Ж

अध्याय— 8 पशुपालन

8.1 उत्तराखण्ड राज्य में पशुपालन स्वरोजगार एवं आमदनी का उत्तम साधन है। लगभग 70 प्रतिशत जनशक्ति पशुपालन में जुटी है। पशुपालन से लगभग 972.00 लाख दिवस रोजगार सृजित होता है। पशु पक्षियों से हमें दूध, अण्डा, माँस, ऊन, चमड़ा तथा इनसे बनाये जाने वाले अनेक पदार्थ मिलते हैं, जो न केवल हमारी पोषण सम्बन्धी जरूरतों को पूरा करते हैं बल्कि हमारे जीवन के अभिन्न अंग बन गये हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण दूध, अण्डा, माँस एवं इसके विभिन्न उत्पादों की माँग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आयुर्वेद के बढ़ते प्रभाव के कारण गोमूत्र के प्रयोग से अनेक औषधियों का निर्माण हो रहा है। उत्तराखण्ड पहला राज्य है जहाँ पर गोमूत्र को भी पशुपालकों की अतिरिक्त आमदनी का स्रोत बनाया गया है।



8.2 पशु पालन ग्रामीण आर्थिक विकास का एक अभिन्न अंग होने के कारण ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में एक महत्व पूर्ण स्थान रखता है। पशु पालन के महत्व को देखते हुए पशुपालन विभाग ने जनपद में पशुओं के नस्ल सुधार, रोग नियंत्रण, रखरखाव, खानपान एवं पशु प्रबन्धन के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उपरोक्त सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये 16 पशु चिकित्सालय एवं 36 पशु सेवा केन्द्र कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त बायफ संस्था द्वारा खोले गये 10 केन्द्रों एवं उपसा कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 उपसा कार्यकर्ताओं द्वारा पशुपालकों को कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा दी जा रही है।

8.3 पशुपालन हेतु वर्ष 2012–13 में किये गये विकास कार्य :-

8.3.1 जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012–13 में 168505 पशुओं की चिकित्सा की गयी जो कि गत वर्ष 2011–12 की प्रगति 15858 से 6 प्रतिशत अधिक रही है।

8.3.2 वर्ष 2012–13 में जनपद हरिद्वार हेतु 7800 पशुओं के बधियाकरण का लक्ष्य रखा गया। खेती में बैलों के प्रयोग में कमी के बावजूद 5678 पशुओं का बधियाकरण किया गया जो कि गत वर्ष किये 5383 पशुओं के बधियाकरण से लगभग 5.5 प्रतिशत अधिक है।

8.3.3 विभिन्न संक्रामक बिमारियों की रोकथाम हेतु टीकाकरण कार्यक्रम अभियान के रूप में चलाया गया जिसके कारण वर्ष 2012–13 में जनपद हरिद्वार में संक्रामक रोगों पर पूर्ण नियंत्रण रहा। जनपद हरिद्वार हेतु 200000 टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया था जिसके सापेक्ष 202044 पशुओं के टीकाकरण किया गया जो कि गत वर्ष किये टीकाकरण 192820 से लगभग 4.75 प्रतिशत अधिक है।

8.3.4 पशुओं के नस्ल सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के सांडों के वीर्य से कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। यह कार्यक्रम विभागीय संस्थाओं, बायफ एवं यू0एल0डी0बी0 द्वारा प्रशिक्षित उपसा कार्यकर्ताओं के सहयोग से चलाया जा रहा है। विभागीय संस्थाओं द्वारा इस वर्ष 30828 पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान किया गया, जो कि गत वर्ष किये गये 29547 पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान से लगभग 4.25 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार उत्पन्न संतति 16887 रही है जो कि गत वर्ष में उत्पन्न संतति 13555 से लगभग 24 प्रतिशत अधिक रही है। न्याय पंचायत एवं विकासखण्ड स्तर पर कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न बछियाओं में सर्वोत्तम बछियाओं को नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

8.3.5 पशुपालकों को हरे चारे उत्पादन कराने के उद्देश्य से चारा विकास कार्यक्रम चलाया जाता है। जिसके अन्तर्गत हरे चारे के बीज बाँटकर अधिक से अधिक हरा चारा उत्पादित कराने का प्रयास किया जाता है। वर्ष 2012-13 में 5036 कि0ग्रा0 बीज पशुपालकों को वितरित किया गया।

8.3.6 भारत सरकार के सौजन्य से तथा उत्तराखण्ड पशुधन विकास बोर्ड के सहयोग से जनपद में पशुधन बीमा योजना चलायी जा रही है जिसके अन्तर्गत बीमित पशु का आधा प्रिमियम भारत सरकार तथा आधा प्रिमियम लाभार्थी द्वारा वहन किया जा रहा है।

8.3.7 जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में ₹ 88.67 लाख परिव्यय के सापेक्ष कुल ₹ 55.83 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई जिसका शत-प्रतिशत उपयोग किया गया। इसी प्रकार राज्य सैक्टर योजनान्तर्गत कुल ₹ 31.47 लाख एवं केन्द्र पोषित योजनान्तर्गत ₹ 50.15 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई, जिसका वित्तीय वर्ष 2012-13 में शत-प्रतिशत सदुपयोग किया गया।

8.3.8 आतमा योजना के अन्तर्गत कई कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। जिसके अन्तर्गत फार्म स्कूल की स्थापना, प्रदर्शन भ्रमण, पशुमेला आदि कार्यक्रम चलाये जाते हैं। कार्यक्रम अन्तर्गत विकास खण्ड स्तर पर प्रगतिशील पशुपालकों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाता है।

8.3.9 राजकीय पशु चिकित्सालय बहादुराबाद में पशुओं की शल्य चिकित्सा हेतु अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त सर्जिकल युनिट की स्थापना की गयी है जो कि एक्स-रे, अल्ट्रा-साउण्ड इत्यादि सुविधाओं से युक्त है। इससे जनपद हरिद्वार के पशुपालकों को शल्य चिकित्सा इत्यादित हेतु जनपद से बाहर नहीं जाना पड़ेगा।

8.3.10 राजकीय पशु चिकित्सालय बहादुराबाद में राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत कुक्कुट प्रक्षेत्र की स्थापना मद के अन्तर्गत क्रायलर मुर्गी फार्म की स्थापना की जा चुकी है। जिसमें क्रायलर पैरेंट स्टॉक रखा गया है। क्रायलर पक्षी की मृत्युदर नगण्य होने तथा बैकयार्ड के लिए उपर्युक्त होने के कारण लगातार मांग बढ़ रही है। उत्पादित अण्डों को कुक्कुट प्रक्षेत्र पशुलोक में हैचिंग हेतु भेजा जाता है। जहाँ से इस जनपद के साथ-साथ निकटवर्ती जनपदों को चूजों की आपूर्ति की जाती है।

8.3.11 राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत 120 माइक्रो डेरी की स्थापना 36 बकरी यूनिट की स्थापना एवं 100 बैकयार्ड कुक्कुट इकाईयों की स्थापना हेतु धनराशि प्राप्त हुई। योजनान्तर्गत प्राप्त धनराशि का समय से सदुपयोग किया गया तथा लाभार्थियों को समय से लाभ दिलाया गया।

8.3.12 अनुसूचित जाति के लाभार्थ योजनान्तर्गत जनपद के अनुसूचित जाति के 435 परिवारों को निशुल्क कुक्कुट पालन इकाई स्थापित करायी गयी। इस योजना के तहत प्रत्येक परिवार को क्रायलर प्रजाति के 50 चूजे, दाना व जाली आदि निशुल्क उपलब्ध कराये गये।

8.3.13 जनपद में प्रत्येक विकास खण्ड में चारा बैंक स्थापित किये गये हैं। सभी चारा बैंक विभागीय भूमि एवं भवन में स्थापित कराये गये हैं, तथा सफलता पूर्वक कार्य कर रहे हैं। चारा बैंक में चाटन भेली एवं चारा भेली उपलब्ध है जो कि बिना किसी लाभ-हानि के आधार पर पशुपालकों को उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

8.3.14 19वीं राष्ट्रीय पशुधन संगणना-2012 भारत सरकार द्वारा संचालित योजना में वर्तमान में विभाग द्वारा 19 वीं राष्ट्रीय पशुधन संगणना-2012 दिनांक 15 सितम्बर, 2012 से 15 अक्टूबर, 2012 के मध्य सम्पन्न करायी गयी। जिसका स्कूटनी कार्य प्रगति पर है। इसके अन्तर्गत तीन सौ से अधिक शिक्षित बेरोजगार युवकों को इस कार्यक्रम में मानदेय के आधार पर रोजगार उपलब्ध कराया गया।

तालिका 8.1
जनपद हरिद्वार में पशुधन एवं कुक्कुट पक्षियों की संख्या

मद	वर्ष	
	2003	2007
1	2	3
1. गोजातीय		
(अ) कुल	128068	139401
(ब) प्रति हजार जनसंख्या पर	89	96
2. वयस्क गाय		
(अ) कुल	52729	79765
(ब) प्रति हजार जनसंख्या पर	36	55
3. महिष वंशी		
(अ) कुल	268535	272464
(ब) प्रति हजार जनसंख्या पर	186	188
4. वयस्क भैंस		
(अ) कुल	141544	157093
(ब) प्रति हजार जनसंख्या पर	98	109
5. भेड़		
(अ) कुल	2270	4287
(ब) प्रति हजार जनसंख्या पर	2	3
6. बकरा-बकरी		
(अ) कुल	21265	26115
(ब) प्रति हजार जनसंख्या पर	15	18
7. सुअर		
(अ) कुल	15989	9850
(ब) प्रति हजार जनसंख्या पर	11	7
8. कुक्कुट		
(अ) कुल	63322	47243
(ब) प्रति हजार जनसंख्या पर	44	32

** ** *

अध्याय—9 सहकारिता

9.1 वित्तीय संसाधनों को जुटाने में सहकारी संस्थाओं का योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कृषि एवं अन्य पूरक योजनाओं के बहुमुखी विकास में सहकारिता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। ऋण सुविधाओं, कृषि निवेशों की आपूर्ति, खाद्यान्न भण्डारण सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज तथा मण्डी समिति आदि के माध्यम से विकास कार्यों में सहकारिता का योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।



9.2 जनपद में कुल 43 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां, 09 सहकारी संघ/पूर्ति भण्डार, 02 सहकारी क्रय-विक्रय समितियां, 01 सहकारी संघ एवं 01 थोक केन्द्रीय कार्ड वितरित किये जा चुके हैं।

9.3 जनपद में वर्ष 2012-13 में 43 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों में 137902 सदस्य सक्रिय थे।

9.4 जनपद में एक जिला सहकारी बैंक है जिसकी 16 शाखायें हैं। जिला सहकारी बैंक द्वारा समिति सदस्यों को ₹ 21974.58 लाख का अल्पकालीन ऋण एवं ₹ 2001.15 लाख का मध्यकालीन ऋण वितरित किया गया है।

9.5 जनपद में चार गन्ना सहकारी समितियों में 87042 सदस्य हैं। इन गन्ना सहकारी समितियों की कार्यशील पूंजी ₹ 06 करोड़ 66 लाख 92 हजार की है तथा इनके द्वारा ₹ 12 करोड़ 31 लाख 22 हजार ऋण वितरण किया गया है।

9.6 जनपद में सहकारी विभाग द्वारा सहकारी समितियों के माध्यम से दो पेट्रोल/डीजल पम्प क्रमशः नन्हेडा अनन्तपुर एवं झबरेडा किसान सेवा सहकारी समिति लिटर द्वारा संचालित किये जा रहे हैं।

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

अध्याय-10 सिंचाई

10.1 कृषि उत्पादन हेतु सिंचाई एक महत्वपूर्ण निवेश है। जनपद में वर्ष 2009-10 में 109039 हैक्टेयर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल तथा 155381 हैक्टेयर सकल सिंचित क्षेत्रफल था, जो कि वर्ष 2010-11 में बढ़ कर शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल 109560 हैक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 153828 हैक्टेयर हो गया। वर्ष 2010-11 नहरों द्वारा 11654 है०, कुल नलकूपों द्वारा 96552 है० तथा 1354 है० इस प्रकार कुल 109560 हैक्टेयर क्षेत्रफल सिंचित किया गया।



10.2 वर्ष 2012-13 में किये गये कार्यों का संक्षिप्त विवरण

1-जिला योजना :- जिला योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में स्वीकृत परिव्यय ₹ 276.00 लाख के सापेक्ष ₹ 112.68 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी, अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग करते हुए 2.593 कि०मी० नहर निर्माण, 2.207 कि०मी० ड्रेन एवं बाढ़ सुरक्षा के लिए 06 सं० स्टर्ड का निर्माण किया गया तथा 21 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गयी।

केन्द्र पोषित योजनायें :-

(अ) ए०आई०बी०पी० की योजनायें :- वर्ष 2012-13 में ए०आई०बी०पी० के अन्तर्गत कुल अवमुक्त धनराशि ₹ 453.50 लाख का पूर्ण उपभोग करते हुए 30.88 कि०मी० लम्बाई में नहर/गूलों का निर्माण किया गया है।

(ब) बाढ़ सुरक्षा की योजनायें :- बाढ़ सुरक्षा की योजना के अन्तर्गत भगवानपुर विकास खण्ड में ग्राम फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला एवं दौडबसी ग्राम की बाढ़ एवं कटाव सुरक्षा हेतु रतमऊ नदी पर रीवर ट्रेनिंग कार्यों हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 50.00 लाख का पूर्ण उपभोग करते हुए 35 प्रतिशत कार्य पूर्ण कराया गया।

राज्य सैक्टर (नाबार्ड) :-

राज्य सेक्टर के अन्तर्गत विकास खण्ड बहादुराबाद में जगजीतपुर नहर के 55.60 कि०मी० फील्ड गूलों के पक्की करण योजनाओं हेतु अवमुक्त धनराशि ₹ 50.65 लाख का पूर्ण उपभोग करते हुए 5.100 कि०मी० फील्ड गूलों का पक्कीकरण (निर्माण) पूर्ण कराया गया।

दैवीय आपदा वर्ष 2012-13 :- दैवीय आपदा के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में 03 कार्य हेतु ₹ 10.20 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। अवमुक्त धनराशि ₹ 7.44 लाख का उपभोग करते हुए उक्त 03 कार्यों को पूर्ण किया गया है।

मनरेगा :- मनरेगा के अन्तर्गत 19 कार्य स्वीकृत किये गये जिन पर ₹ 65.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष कार्य को पूर्ण करते हुए ₹ 65.00 लाख का व्यय किया गया।

राजस्व प्राप्ति :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में सिंचाई राजस्व के अन्तर्गत ₹ 80834.00 की राजस्व संग्रहित किया गया।

10.3 नलकूप खण्ड

10.3.1 राजकीय सिंचाई (राजकीय नलकूप) इस खण्ड का कार्य क्षेत्र जनपद हरिद्वार में है। वर्ष 2012-13 की स्थिति के अनुसार 337 राजकीय नलकूप चलित थे। वर्ष 2012-13 में निर्माणाधीन योजनाओं की प्रगति विवरण निम्नप्रकार है।

10.3.2 जिला योजना 2012-13 के अन्तर्गत आवंटित ₹ 74.50 लाख के सापेक्ष माह मार्च, 2013 तक ₹ 74.50 लाख व्यय करते हुए 7.207 कि०मी० जल वितरण प्रणाली निर्माण एवं 13 पम्प सैट बदलने के कार्य कराये गये।

10.3.3 नाबार्ड योजना की आर०आई०डी०एफ०-14 योजना के अन्तर्गत 34 नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 58.69 लाख आवंटन के विरुद्ध मुख्य कार्य 7 पम्पसैट स्थापना एवं 08 किमी० जल वितरण प्रणाली निर्माण करते हुए 04 नलकूपों को सिंचाईरत कर 300 है० सिंचन क्षमता सृजित की गई।

10.3.4 नाबार्ड योजना आर०आई०डी०एफ०-14 के अन्तर्गत 15 नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 89.13 लाख आवंटन के सापेक्ष मुख्य रूप से 3 पम्पगृह, निर्माण 40 किमी० जल वितरण प्रणाली निर्माण एवं अन्य कार्य करते हुये 8 नलकूपों को सिंचाईरत कर 600 है० सिंचन क्षमता सृजित की गई।

10.3.5 नाबार्ड योजना आर०आई०डी०एफ०-15 योजना के अन्तर्गत 27 नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 256.66 लाख आवंटन के सापेक्ष मुख्य कार्य 5 नलकूपों का डी०टी० निर्माण, 22 पम्प सैट स्थापना एवं 28 किमी० जल वितरण प्रणाली निर्माण करते हुये 13 नलकूपों को सिंचाईरत कर 975 है० सिंचन क्षमता सृजित की गयी।

10.3.6 नाबार्ड की योजना आर०आई०डी०एफ०-17 के अन्तर्गत 58 नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 790.38 लाख आवंटन के सापेक्ष मुख्य रूप से 27 नलकूपों का छिद्रण, विकसन 10 पम्पगृह डी०टी० निर्माण कार्य किये गये, शेष कार्य प्रगति पर है।

10.3.7 नाबार्ड की योजना आर०आई०डी०एफ०-17 के अन्तर्गत 37 नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 679.53 लाख आवंटन के सापेक्ष मुख्य रूप से 12 नलकूपों का छिद्रण, विकसन, 06 पम्पगृह डी०टी० निर्माण कार्य किये गये, शेष कार्य प्रगति पर है।

10.3.8 नाबार्ड की योजना आर०आई०डी०एफ०-17 के अन्तर्गत 28 नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 379.65 लाख आवंटन के सापेक्ष मुख्य रूप से 12 नलकूपों का छिद्रण, विकसन 06 पम्पगृह डी०टी० निर्माण कार्य किये गये, शेष कार्य प्रगति पर है।

10.3.9 नाबार्ड की योजना आर०आई०डी०एफ०-17 के अन्तर्गत 13 नलकूपों का निर्माण (अनुसूचित जाति बाहूल्य ग्राम) वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 177.22 लाख आवंटन के

सापेक्ष मुख्य रूप से 08 नलकूपों का छिद्रण, विकसन 06 पम्पगृह डी0टी0 निर्माण कार्य किये गये, शेष कार्य प्रगति पर है।

10.3.10 नाबार्ड की योजना आर0आई0डी0एफ0-17 के अन्तर्गत 13 नलकूपों का निर्माण वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 177.22 लाख आवंटन के सापेक्ष मुख्य रूप से 06 नलकूपों का छिद्रण, विकसन 04 पम्पगृह डी0टी0 निर्माण कार्य किये गये, शेष कार्य प्रगति पर है।

10.3.11 नाबार्ड की योजना आर0आई0डी0एफ0-17 के अन्तर्गत पथरी, पथरी सुमननगर में नलकूपों का पुनःनिर्माण/पुनरोद्धार कार्य- वित्तीय वर्ष 2012-13 में ₹ 41.87 लाख आवंटन के सापेक्ष मुख्य कार्य 04 किमी0 पत्थर गूल का निर्माण कार्य किया गया है, शेष कार्य प्रगति पर है।

उल्लेखनीय कार्य

1- उपरोक्त योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष में 25 नलकूपों का निर्माण पूर्ण कर 1875 हैक्टेयर सिंचन क्षमता सृजित की गई।

2- वित्तीय वर्ष 2012-13 में सिंचाई राजस्व के अन्तर्गत ₹ 3347551.00 की राजस्व संग्रहित किया गया।

तालिका 10.1
स्रोतवार वास्तविक सिंचित क्षेत्रफल (हैक्टेयर)

वर्ष	नहरे	राजकीय नलकूप	निजी नलकूप	अन्य स्रोत	योग
1	2	3	4	5	6
2001-02	15856	13232	73701	1019	103808
2002-03	13829	5130	82357	1787	103103
2003-04	14848	4834	84632	1297	106211
2004-05	14476	4581	86086	1925	107164
2005-06	15080	4965	85108	2064	107217
2006-07	14063	5078	86284	2164	107589
2007-08	13759	5285	85962	2271	107277
2008-09	13097	5314	87502	2328	108241
2009-10	11935	4385	90437	2282	109039
2010-11	11654	4461	92091	1354	109560

* * * * *

अध्याय-11 दुग्ध विकास

11.1 ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध सहकारी समितियाँ गठित करते हुये दुग्ध उत्पादकों को वर्ष पर्यन्त दुग्ध विपणन की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा नगरीय क्षेत्रों में उपभोक्ताओं, पर्यटकों व तीर्थ यात्रियों को उचित दर पर शुद्ध दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में डेयरी विकास विभाग द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त दुग्ध उत्पादकों को ग्राम स्तर पर तकनीकी व निवेश सुविधायें यथा-रियायती दर पर संतुलित पशुआहार, प्राथमिक पशु चिकित्सा सुविधा, चाराबीज वितरण, प्रशिक्षण तथा दुधारू पशु क्रय करने हेतु बैंक ऋण व अनुदान की सुविधा प्रदान की जा रही हैं। इन कार्यक्रमों से जहाँ एक ओर दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु सतत् प्रयास जारी है वहीं दूसरी ओर ग्रामीण व नगरीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं।



11.2 जनपद हरिद्वार में दुग्ध विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन वर्ष 1992-93 में हुआ। अब तक कुल 287 दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया जा चुका है। गठित समितियों के माध्यम से 7609 लीटर दूध प्रतिदिन औसत उपलब्ध कराया गया। जनपद हरिद्वार में दुग्ध विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन से दुग्ध उत्पादक सदस्यों को ग्रामीण स्तर पर बाजार उपलब्ध करवा कर गुणवत्ता के आधार पर दुग्ध मूल्य भुगतान करवाने एवं पशुपालन तथा दुग्ध उत्पादन से सम्बंधित मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवा कर दुग्ध उत्पादन को कृषि के साथ-साथ अतिरिक्त आय का स्रोत बना कर व्यवसाय के रूप में अपनाने हेतु प्रेरित किया गया।

11.4 डेयरी विकास विभाग द्वारा प्रदत्त सुविधायें :-

- * दुग्ध समिति सदस्यों को वर्ष पर्यन्त उचित दर पर दुग्ध विपणन की सुविधा।
- * दुग्ध समितियों में रियायती दर पर संतुलित पशु आहार वितरण।
- * ग्राम स्तर पर निःशुल्क प्राथमिक पशु चिकित्सा, टीकाकरण एवं डिवार्मिंग की सुविधा।
- * समय-समय पर चाराबीज वितरण की सुविधा।
- * नवीनतम तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रशिक्षण की सुविधा।
- * नगरीय क्षेत्रों में ऑचल ब्राण्ड दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति।
- * मिनी डेरी योजनान्तर्गत दुधारू पशु क्रय हेतु बैंक ऋण एवं अनुदान की सुविधा।
- * नगरीय क्षेत्रों में दुग्ध जॉच शिविरों का आयोजन

11.5 वर्ष 2012-13 में किये गये कार्यों का विवरण :-

- ❖ दुग्ध समिति सदस्यों को वर्ष प्रयन्त उचित दर पर दुग्ध विपणन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।
- ❖ रूड़की आर्मी, क्षेत्र एवं हरिद्वार जनपद के नगरीय क्षेत्रों में ऑचल ब्राण्ड के दूध एवं दुग्ध पदार्थों की आपूर्ति की गई।
- ❖ रूड़की नगर में 04 मिल्क पार्लर की स्थापना की गई जिला सैक्टर योजना के अन्तर्गत ₹ 10.04 लाख स्वीकृत, जिसके सापेक्ष दुग्ध सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को डिवर्मिंग, प्राथमिक पशु चिकित्सा पशुआहार अनुदान एवं आकस्मिक पशु चिकित्सा की सुविधा प्रदान की गई।
- ❖ 09 दुग्ध मार्गों पर गठित दुग्ध सहकारी समितियों में 10156 परिवारों की भागीदारी।
- ❖ 91 महिला दुग्ध सहकारी समितियों का गठन जिसमें 3185 महिलाओं की भागीदारी।
- ❖ महिला दुग्ध समितियों में 40 स्वयं सहायता समूहों का गठन।
- ❖ डेरी इन्टरन्योरशिप स्कीम/मिनी डेरी के अन्तर्गत 52 लाभार्थियों को ऋण स्वीकृत।
- ❖ दुग्ध समिति सदस्यों को तकनीकी निवेश की सुविधायें यथा संतुलित पशुआहार प्रशिक्षण चाराबीज व प्राथमिक पशु चिकित्सा आदि की सुविधा ग्राम स्तर पर सुलभ कराई गई।
- ❖ नगरीय उपभोक्ताओं को स्वच्छ एवं शुद्ध के प्रति जागरूक करने हेतु 10 दुग्ध जॉच शिविरों का आयोजन किया गया।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

अध्याय-12 मत्स्य विकास

12.1 नवसृजित राज्य उत्तराखण्ड में जनपद हरिद्वार का मत्स्य पालन में महत्वपूर्ण स्थान है। मत्स्य उत्पादन हेतु जल संसाधनों के रूप में जनपद में मुख्यरूप से निजी/ग्राम सभा के तालाब हैं जिनमें वर्तमान समय में केवल सीमित स्तर पर ही मत्स्य उत्पादन का कार्य किया जा रहा है। इन तालाबों में वैज्ञानिक ढंग से मत्स्य पालन का कार्य करके मत्स्य उत्पादन के स्तर को बढ़ाये जाने की प्रबल सम्भावनाएं हैं। इससे न केवल प्रोटीन युक्त सुपाच्य भोजन प्राप्त होगा अपितु अतिरिक्त रोजगार एवं आय की प्राप्ति भी होगी।



12.2 ग्रामीण अंचल की समृद्धि और खुशहाली के लिए चलायी जाने वाली विभिन्न विकासशील योजनाओं में मत्स्य पालन का उल्लेखनीय योगदान हो सकता है। मत्स्य पालन विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र में दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों को कम परिश्रम कर रोजगार के अतिरिक्त साधन जुटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं अथवा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, अपना सामाजिक एवं आर्थिक स्तर सुधार सकते हैं।

12.3 कृषि के क्षेत्र में हरित क्रान्ती के फलस्वरूप देश खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भर हुआ है परन्तु भोजन में पोष्टिक तत्वों की कमी अभी भी एक समस्या है। भूमि पर आधारित पौष्टिक तत्व जैसे दूध मांस आदि के उत्पादन का प्रयास प्रदेश में हो रहा है। परन्तु इससे भूमि पर अतिरिक्त दबाव बढ़ता है जो कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। ऐसी स्थिति में उपजाऊ भूमि को खेती के लिए छोड़कर अन्य संसाधन जैसे जलराशि से पौष्टिक तत्वों का उत्पादन का प्रयास वर्तमान परिस्थिति में नव निर्मित राज्य में एक अत्यन्त

महत्वपूर्ण कार्य है। विदित है कि उत्तराखण्ड राज्य में जल एवं वन मुख्य प्राकृतिक संसाधन हैं। जनपद में विद्यमान जलराशियों का उपयोग मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में सम्भावनाओं से भरा है। अतः मत्स्य व्यवसाय को अनुकूलित जल राशियों में प्रसारित कर मत्स्य उत्पादन के स्तर को बढ़ाये जाने की प्रबल सम्भावनाएं हैं, जो जनपद के ग्रामीण अंचल में रोजगार सृजन के साथ-साथ अर्थव्यवस्था एवं सुपाच्य भोज्य सामग्री की उपलब्धता में सहायक होगी।

12.4 अन्तराष्ट्रीय स्तर पर भारत मत्स्य पालन के क्षेत्र में विश्व का चौथा बड़ा देश है। मीठे पानी में मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। गत पंचवर्षीय

योजना के तुलनात्मक विवरण के आंकड़ों के अनुसार देश में जहाँ दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 17 प्रतिशत, अण्डा उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 20 प्रतिशत वहीं मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि आंकी गयी है।

12.5 जनपद में मात्स्यकी रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ अनेक व्यक्तियों की आय का प्रमुख साधन है। केन्द्र पुरोनिधानित मत्स्य पालक विकास अभिकरण योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में मात्स्यकी के विकास हेतु 3.0 है० का निर्माण तथा ग्राम समाज के 2.8 है० के सुधार हेतु कुल 2.80 लाख का अनुदान मत्स्य पालकों को दिया गया है। जनपद के अनुसूचित जाति के मत्स्य पालकों की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए विशेष संघटक उपयोजनान्तर्गत मत्स्य पालन सम्बन्धी कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012-13 में 1.0 है० तालाब निर्माण हेतु 70 प्रतिशत का अनुदान दिया गया। जलाशयों का विकास योजना कमजोर एवं निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ ही जनपद में जलीय पर्यावरण का संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से संचालित की गयी, जिसमें जनपद के चिन्हित स्थलों पर मत्स्य बीज संचय के साथ-साथ मात्स्यकी संरक्षण एवं जनचेतना बढ़ाने हेतु गोष्ठियों का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले निर्बल वर्ग के मछुओं के लिए केन्द्रपुरोनिधानित राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना के अन्तर्गत ग्राम-कंकरखाता एवं ग्राम-प्रतापपुर वि०ख०-लक्सर में 10-10 कुल 20 मछुआ आवासों का निर्माण किया गया। जिस पर दस लाख रू० का अनुदान दिया गया। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालकों को संरक्षण दिये जाने के उद्देश्य से उन्हें दुर्घटना बीमा के अन्तर्गत लाभान्वित किया जाता है। मछुआ समुदाय के व्यक्तियों की मृत्यु अथवा पूर्ण रूप से अक्षम होने की स्थिति में क्रमशः ₹ 100000/- (₹ एक लाख) एवं ₹ 50000/- (₹ पचास हजार) की बीमा धनराशि से आच्छादित किया जाता है।

जनपद हरिद्वार में विद्यमान ग्राम समाज के तालाबों का अधिकतम उपयोग मत्स्य पालन में करने हेतु मछुआ समुदाय के गरीब पात्र व्यक्तियों को दस वर्षीय पट्टा निर्गत कराकर किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में 25 ग्राम समाज के तालाबों का पट्टा कराया गया। मत्स्य उत्पादन को अधिक बढ़ाने व उन्नतशील बनाने के लिए मत्स्य पालकों को मत्स्य विभाग द्वारा उनकी मांग के अनुसार समय-समय पर उन्नतशील किस्म व प्रजाति के मछली के बीज उपलब्ध कराये जाते हैं।

जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012-13 में संचालित की गई योजनाओं की उपलब्धि।

क्र०स०	योजना का नाम	उपलब्धि
1.	मत्स्य पालक विकास अभिकरण (तालाब निर्माण/तालाब सुधार) हैक्टो में	5.8 हैक्टो
2.	विशेष संघटक उप योजना(तालाब निर्माण) हैक्टो में	1.0 हैक्टो
3.	राष्ट्रीय मछुआ कल्याण योजना (मछुआ आवास निर्माण) सं० में	20
4.	मत्स्य बीज वितरण (संख्या में)	78 लाख
5.	ग्राम समाजों के तालाबों के किये गये पट्टे (संख्या में)	25 (23 हैक्टो)


*** **

अध्याय-13 विद्युत


13.1 विद्युत

13.1.1 आर्थिक विकास में विद्युत शक्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। जनपद में गंगा नहर पर बहादुराबाद एवं मोहम्मदपुर पावर हाउस में विद्युत का उत्पादन किया जाता है।

13.1.2 जनपद में ग्रामीण विद्युत कार्यक्रम के अर्न्तगत ग्रामों एवं हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण तथा पम्पिंग सेट्स व नलकूप का उर्जीकरण किया जा रहा है। जनपद में वर्ष 2012-2013 तक कुल 495 ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने के फलस्वरूप 96.49 प्रतिशत आबाद ग्रामों को विद्युतीकृत किया जा चुका है। यदि वन ग्रामों को जोड़ कर यह प्रतिशत निकाला जाय तो यह प्रतिशत घट कर 95.56 प्रतिशत रह जाता है।



13.1.3 जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012-2013 में कुल विद्युत का उपभोग 25444.806 हजार किलो वाट हुआ। जिसमें से 285.104 हजार किलो वाट घरेलू प्रकाश के रूप में उपभोग किया गया। सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था के अर्न्तगत 46126.156 हजार किलो वाट तथा सार्वजनिक जलकल एवं मल प्रवाह उर्त्सजन व्यवस्था के अर्न्तगत 32.931 हजार किलो वाट विद्युत का उपभोग किया गया। वाणिज्य प्रकाश के अर्न्तगत 15048.931 , औद्योगिक क्षेत्र में 192672.956 हजार किलो वाट तथा कृषि क्षेत्र में 274.728 हजार किलो वाट विद्युत का उपभोग जनपद में किया गया।




13.1.4 वित्तीय वर्ष 2012-13 की अवधि में हरिद्वार क्षेत्र में पड़ने वाले मुख्य मेले, कांवड मेला, सोमवती अमावस्या, दीपावली इत्यादि पर विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से दी गयी।

13.1.5 वर्ष 2012-13 में कुल 897 पम्प सैटों को ऊर्जीकृत किया गया।

13.2 उर्जा के वैकल्पिक स्रोत

13.2.1 विद्युत उत्पादन एवं उपलब्धता में अभिवृद्धि करने के साथ ही साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के अन्वेषण एवं विकास की ओर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। जनपद में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सम्बन्धी उपकरणों की प्रयोग विधि जनसाधारण को सुलभ कराने हेतु प्रदर्शनी की व्यवस्था की जाती है।



13.2.2 ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में बायो गैस (गोबर गैस) का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए जनपद में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बायोगैस संयंत्र के प्रयोग से जहाँ परम्परागत स्रोत पर दबाव कम किया जा सकता है वही इससे प्राप्त उर्वरक में नाइट्रोजन की शक्ति ढाई गुनी बढ़ जाती है। बायोगैस संयंत्र स्थापना हेतु ग्राम्य विकास विभाग द्वारा अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2012-13 तक इस जनपद में 3739 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की जा चुकी है। जनपद में प्रति सौ ग्रामों में 728 बायोगैस संयंत्र हैं। वर्ष 2012-13 में इस जनपद में 103 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गयी है।

उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) द्वारा जनपद हरिद्वार द्वारा वर्ष 2012-13 में किये गये विकास कार्यों का विवरण

1. विद्युत उत्पादन एवं उपलब्धता में अभिवृद्धि करने के साथ ही साथ ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के अन्वेषण एवं विकास की ओर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष बल दिया जा रहा है। जनपद में बायोगैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा सम्बन्धी उपकरणों की प्रयोग विधि जनसाधारण को सुलभ कराने हेतु प्रदर्शनी की व्यवस्था की जाती है।
2. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में पारिवारिक बायोगैस (गोबर गैस) संयंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए जनपद में विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। बायोगैस संयंत्र के प्रयोग से जहाँ परम्परागत स्रोत पर दबाव कम किया जा सकता है वहीं इससे प्राप्त उर्वरक में नाइट्रोजन की शक्ति ढाई गुना बढ़ जाती है। बायोगैस संयंत्र स्थापना पर उरेडा द्वारा अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 02 से 04 घनमी0 क्षमता के 20 पारिवारिक बायोगैस संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

3. पानी को 60 से 70 डिग्री सेल्सियस पर पानी गर्म करने वाला सौर जल तापक संयंत्र 100 लीटर प्रतिदिन क्षमता से लेकर लाभार्थी को आवश्यकतानुसार बड़ी क्षमता तक स्थापित कराये जा रहे हैं। इस संयंत्र भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान एवं राज्य सरकार द्वारा 100 ली0 प्रतिदिन क्षमता के संयंत्र पर ₹ 100.00 प्रति माह बिजली के बिल में छूट दी जा रही है। दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 36 सोलर वाटर हीटर संयंत्रों (क्षमता लगभग 65000 ली0प्रतिदिन) की स्थापना करायी गयी है ।
4. धूप से भोजन बनाने हेतु डिश टाईप सोलर कुकर पर भारत सरकार द्वारा 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में 10 अदद संयंत्रों की स्थापना करायी गयी है।

अध्याय-14 उद्योग विभाग

14.1 प्रदेश की अर्थ व्यवस्था में उद्योग का प्रमुख स्थान है। प्रदेश के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा उद्योगों के विकास हेतु विभिन्न अभिकरणों द्वारा यथासम्भव वित्तीय संसाधन सुलभ कराये जाने के साथ ही प्रदेश में अनुकूल औद्योगिक वातावरण सृजित करने के उद्देश्य से उत्साही उद्यमियों को एक ही स्थान पर समस्त सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु उद्योगबन्धु की स्थापना की गई है।



14.2 जिला उद्योग केन्द्र में जनपद एवं बाहर से आने वाले उद्यमियों को मार्गदर्शन देने हेतु सुसज्जित परामर्श कक्ष की स्थापना की गई है जिसमें उद्यमियों/नव उद्यमी/बेरोजगार युवक/ युवतियों को सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी दी जाती है तथा उद्यमियों को प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाने में निशुल्क सहायता की जाती है।

14.3 औद्योगिक विकास में तीव्र गति लाने के लिये अनुकूल वातावरण सृजित करने तथा उद्यमियों के बहुमूल्य समय का सदप्रयोग उत्पादन बृद्धि हेतु केन्द्रित किये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की औद्योगिक नीति 2003 के अन्तर्गत एकल खिडकी सम्पर्क सूचना एवं सुगमता व्यवस्था का प्राविधान किया गया हैं जनपद में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ शुक्रवार को उद्योगों हेतु विभिन्न विभागों से वांछित अनुमोदनों, स्वीकृतियों, अनापत्तियों एवं अनुज्ञापत्रों इत्यादित के सम्बन्ध में आवश्यक सूचना एवं आवेदन पत्र तथा इनका निस्तारण समयबद्ध रूप से सुनिश्चित किया जा रहा है ताकि निवेशकों हेतु मैत्रीपूर्ण वातावरण तैयार किया जा सके तथा वांछित स्वीकृतियां समयबद्ध रूप से जारी की जा सकें।

14.4 भारत की संसद द्वारा पारित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 दिनांक 02 अक्टूबर, 2006 से लागू किया गया है। इसके अन्तर्गत उद्यमी को इकाई की स्थापना से पूर्व उद्यमी अनुज्ञापन भाग-1 हेतु निर्धारित आवेदन पत्र दाखिल करने का प्राविधान है। इकाई के उत्पादन में आने के पश्चात अनुज्ञापन भाग-2 हेतु निर्धारित आवेदन पत्र दाखिल करने का प्राविधान है। जिसके तहत जनपद स्तर से उद्योग क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 10.00 करोड तक प्लांट मशीनरी में पूंजी निवेश तथा सेवा क्षेत्र के अन्तर्गत ₹ 5.00 करोड तक प्लांट मशीनरी में पूंजी निवेश करने वाली इकाइयों के लिए अनुज्ञापन महाप्रबन्धक द्वारा जारी किया जाता है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम की इकाइयों हेतु अनुज्ञापन करना ऐच्छिक है।

14.2.3 भारत सरकार द्वारा राज्य को विशेष औद्योगिकरण दर्जा दिये जाने के कारण के क्षेत्र में अशांति प्रगति हुई है तथा जनपद में कई औद्योगिक समूहों के द्वारा इकाइयों स्थापित की जा रही हैं। इस अवसर का लाभ उठाने हेतु जनपद के युवा उद्यमियों में उद्यमिता का विकास करना आवश्यक है। जिससे युवा पीढ़ी नौकरियों की तलाश में पलायनन करके अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में अधिक रुचि लें। इस हेतु जनपद में उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

14.2.4 भारत सरकार ने दिनांक 31.03.2008 तक परिचालन में रही दो योजनाओं प्रधानमंत्री रोजगार योजना और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर के सृजन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना का संचालन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना को संचालन करने हेतु नोडल एजेंसी के रूप में राज्य निदेशक खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग को नामित किया गया है। उद्योग विभाग को 40 प्रतिशत लक्ष्यों को पूर्ण करने का दायित्व निर्धारित किया गया है।

14.2.5 जिला उद्योग मित्र योजना के अन्तर्गत जनपद में औद्योगिक इकाइयों की समस्याओं के निराकरण हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तर पर बैठकों का आयोजन किया जाता है। जिसमें औद्योगिक संगठनों/उद्यमियों द्वारा इकाइयों को होने वाली समस्याओं से अवगत कराया जाता है। सम्भवतः समस्याओं का निराकरण सम्बन्धित विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

14.2.6 जनपद स्तर पर सूक्ष्म, लघु उद्यम/बुनकरों/हस्तशिल्पियों को उनके श्रेष्ठ उत्पाद पर प्रत्येक श्रेणी में प्रथम एवं द्वितीय पुरुस्कार दिये जाते हैं। जिन उद्यमियों को जिला स्तर पर प्रथम पुरुस्कार प्रदत्त किया जाता है। उन्ही नमूनों को राज्य स्तरीय पुरस्कार के चयन हेतु उद्योग निदेशालय देहरादून को प्रेषित किया जाता है।

14.2.7 जनपद में स्थापित उद्योगों हस्तशिल्पियों एवं हथकरघा कारीगरों द्वारा उत्पादित उत्पादों को प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार एवं प्रसार करने हेतु लगने वाले मेलों/प्रदर्शनियों हाटो तथा ट्रेडफेयर में हथकरघा कारीगरों/हस्तशिल्पियों तथा उद्यमों को अपना माल प्रदर्शित/बिक्री करने हेतु निःशुल्क या आंशिक रूप से किराया भुगतान कर सुविधा प्रदान की जाती है।

14.3 खादी एवं ग्रामोद्योग

14.3.1 देश के ग्रामीण के व्यक्तियों को रोजगार के नये-नये अवसर उपलब्ध कराना खादी एवं ग्रामोद्योग की प्राथमिकता रही है। इसी को मध्यनजर रखते हुए राज्य में भारत सरकार के द्वारा संचालित इस योजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है।



14.3.2 खादी ग्रामोद्योग की व्यक्तिगत व्याज उपादान योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमियों को अपने उद्योग स्थापित करने हेतु बैंकों के माध्यम से ऋण वितरित किया जाता है। जिसमें बैंक द्वारा लिए जाने वाले ब्याज दर में 4 प्रतिशत ब्याज दर से ब्याज धनराशि का भुगतान उद्यमी द्वारा किया जायेगा और शेष ब्याज दर पर देय ब्याज का भुगतान अधिकतम 10 प्रतिशत

तक उद्यमी के पक्ष में सीधे बैंक को उसकी मांग के अनुसार भुगतान किये जाने का प्राविधान है। इस प्रकार उद्यमी को बैंक से ऋण पर ब्याज का लाभ प्राप्त होगा। योजनान्तर्गत अधिकतम ₹ 2.00 लाख तक के प्रोजेक्ट योजनाओं पर ही इस योजना का लाभ 5 वर्ष तक दिया जाता है।

योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012-13 में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से धनराशि ₹ 62.40 लाख का ऋण वितरण कर 36 इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है तथा स्थापित उद्योग के माध्यम से 118 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

14.3.3 प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) में खादी एवं ग्रामोद्योग की योजना के अर्न्तगत सभी क्षेत्रों में नई ग्रामोद्योग परियोजनाओं में उत्पादन/सेवा क्षेत्र के उद्योग स्थापित किये जा सकेंगे। इस योजना के तहत 18 वर्ष के अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है। उत्पादन क्षेत्र एवं सेवा के क्षेत्र उद्योग हेतु क्रमशः ₹ 25.00 लाख व ₹ 10.00 लाख तक की ऋण सीमा धनराशि सहायता का प्रविधान है। योजना के अर्न्तगत सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों को 25 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक/महिला/भूतपूर्व सैनिक आदि को 35 प्रतिशत वित्तीय सहायता/सब्सिडी देने का प्रविधान है। योजना के अर्न्तगत वर्ष 2012-13 में ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों को बैंकों के माध्यम से धनराशि ₹ 205.60 लाख का ऋण वितरण कर 33 इकाईयों की स्थापना की जा चुकी है तथा स्थापित उद्योग के माध्यम से 222 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है।

तालिका 14.1
उत्तराखण्ड खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की तीन वर्षों की प्रगति विवरण।

वर्ष	योजना का नाम	स्थापित इकाई संख्या	रोजगार संख्या
2009-10	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	27	62
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	35	156
2010-11	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	30	59
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	29	118
2011-12	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	25	71
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	12	36
2012-13	व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना	36	118
	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम	33	222

* * * * *

अध्याय-15


सड़के परिवहन एवं संचार

15.1 सड़क

15.1.1 सड़कें सामाजिक आर्थिक विकास के लिए संचार वाहनियों का कार्य करती हैं। जन साधारण के आवागमन को सुलभ करने के साथ-साथ सड़कों के माध्यम से उत्पादन तथा उपभोक्ता वस्तुओं का आयात-निर्यात दूरस्थ स्थानों तक सम्भव हो पाता है। जनपद में प्रति 1000 वर्ग किमी० क्षेत्र पर 1276.56 किमी० पक्की सड़कें उपलब्ध हैं। जनपद में सबन्धुतु योग्य सड़कों से जुड़े ग्रामों की संख्या जनसंख्यावार 1000 से कम वाले 168ग्राम, 1000-1499 वाले 76ग्राम, 1500 से अधिक वाले 242 ग्राम है।



15.1.2 वर्ष 2012-13 तक जनपद हरिद्वार में लोक निर्माण विभाग के अर्न्तगत राष्ट्रीय मार्ग 111.00 किमी प्रादेशिक मार्ग 150 किमी, मुख्य सड़कें 151 किमी, अन्य जिला सड़कें 101 किमी, ग्रामीण सड़कें 862 किमी, जिला पंचायत के अर्न्तगत कुल 579.03 किमी सड़कें, स्थानीय निकाय के अर्न्तगत कुल 374.83 किमी सड़कें अन्य विभाग की सड़कों के अर्न्तगत गन्ना विभाग की 359.5 किमी सड़के, वन विभाग की 151.6 सड़के तथा अन्य विभाग की 8 किमी सड़कें हैं। उपरोक्तानुसार जनपद में कुल सड़कों की लम्बाई 3012.7 किमी० है, जिसके अनुसार उक्त संदर्भ अवधि में जनपद में प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पक्की सड़कों की लम्बाई 159.37 किमी० है।



15.2 परिवहन

15.2.1 वर्ष 2012-13 में जनपद में कुल 14 रेलवे स्टेशन (हाल्ट सहित) हैं जिनमें से 9 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 5 नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। जनपद में कुल 72 कि०मी० रेल लाईन उपलब्ध है। जनपद में प्रति हजार वर्ग किमी० क्षेत्र पर 30.1 किमी० रेलवे लाईन उपलब्ध है।



15.2.2 सड़कों के विस्तार के साथ ही साथ जनपदों में परिवहन सेवाओं के विस्तार में भी वृद्धि परिलक्षित हुई है। सार्वजनिक क्षेत्र में परिवहन सेवाओं की समुचित व्यवस्था करने हेतु राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना की गई है। जनपद हरिद्वार में दो डिपो कार्यरत हैं। जिन मार्गों पर सड़क परिवहन की राजकीय बसों की सुविधा नहीं है उन मार्गों पर प्राइवेट वाहन की सुविधा उपलब्ध है।



15.3 संचार

15.3.1 संचार व्यवस्था के अन्तर्गत डाकघरों द्वारा जनसाधारण को सस्ती एवं सुगम संदेश सेवा सुलभ कराने के साथ साथ बचत कार्यक्रम को प्रभावी क्रियान्वयन में भी इनके द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। जनपद में वर्ष 2012-13 में कुल 124 डाकघर स्थित हैं जिनमें से 84 ग्रामीण क्षेत्र में व 40 नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। संचार व्यवस्था के अन्तर्गत डाकघरों के अतिरिक्त जनपद में 2 तारघर है। जनपद में कुल 1008 पी०सी०ओ०, 26369 टेलीफोन संयोजन (डब्लू०एल०एल० की सेवा को मिलाकर) तथा 180000 मोबाईल कनेक्शन हैं।



❖ ❖ ❖ ❖

अध्याय-16 बैंकिंग सेवा

16.1 बैंकिंग सेवा

16.1.1 कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की उन्नति मूल रूप से क्षेत्र के संस्थागत ढांचे तथा उसकी कार्यप्रणाली पर निर्भर करती है। जिस क्षेत्र का संस्थागत ढांचा सुदृढ़ एवं कार्यप्रणाली सहज होगी वह क्षेत्र उतनी ही तेज गति से उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होगा। विकास के लिए पूंजी की आवश्यकता का विशेष महत्व है जो मुख्य रूप से संस्थागत वित्त से प्राप्त होती है। आर्थिक विकास में तीव्रता लाने के लिए बैंकिंग पद्धति एक महत्वपूर्ण माध्यम है।



16.1.2 जनपद में 2012-13 में 161 राष्ट्रीयकृत, 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 29 अन्य निजी व्यवसायिक बैंक 01 जिला सहकारी बैंक तथा 16 सहकारी बैंक की शाखायें हैं।

16.1.3 जनपद में वर्ष 2012-13 में व्यवसायिक बैंक में कुल जमा धनराशि ₹ 96283600.00 लाख के सापेक्ष कुल ₹ 61051300.00 लाख धनराशि ऋण के रूप में वितरित की गयी। वर्ष 2012-13 में जमा धनराशि में ऋण वितरण का प्रतिशत 63 है। व्यवसायिक बैंक द्वारा वितरित कुल ऋण ₹ 188533.00 लाख में से कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित कार्यों हेतु ₹ 29200.00 लाख लघु उद्योगों हेतु ऋण का वितरण किया गया है।

*** **

अध्याय-17 शिक्षा




17.1 शिक्षा


17.1.1 जनपद के चहुँमुखी विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण स्थान है। जनपद के सामाजिक विकास में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए औपचारिक, अनौपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से साक्षरता प्रतिशत में अभिवृद्धि करने के प्रयास किये जा रहे हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जनपद हरिद्वार की साक्षरता दर 74.62 प्रतिशत (अनन्तिम) है।



17.1.2 वर्ष 2012-13 में जनपद हरिद्वार में कुल 1182 जूनियर बेसिक स्कूल, 279 सीनियर बेसिक स्कूल तथा 184 हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट स्कूल हैं। वर्ष 2012-13 में जनपद में 18 महाविद्यालय थे जिनमें से 7 महाविद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।



17.1.3 जनपद में वर्ष 2012-13 में जूनियर बेसिक स्कूल में 167701 छात्र तथा सीनियर बेसिक स्कूलों में कुल 71924 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। जनपद में वर्ष 2012-13 में कुल 184 हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में कुल 62772 छात्र अध्ययन कर रहे हैं।



17.1.4 जनपद में वर्ष 2012-13 में जूनियर बेसिक स्कूलों में कुल 4851 शिक्षक सीनियर बेसिक स्कूल में कुल 1109 शिक्षक तथा हायर सैकेण्डरी स्कूलों में कुल 1954 शिक्षक कार्यरत हैं। विश्वविद्यालयों में 2012-13 में कुल 1205 शिक्षक कार्यरत हैं।

17.2 उच्च शिक्षा

17.2.1 जनपद में वर्ष 2012-13 में उच्च शिक्षा हेतु 3 विश्वविद्यालय कार्यरत है। जिनमें से एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय जो शान्ति कुंज हरिद्वार द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं अन्य दो विश्वविद्यालयों में से एक संस्कृत विश्व विद्यालय एवं दूसरा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है।

17.3 प्रावैधिक शिक्षा

17.3.1 उद्योगों की आवश्यकतानुसार कुशल कर्मकरों के साथ-साथ प्रावैधिक अधिकारियों व सुपरवाइजर्स की पूर्ति हेतु प्रावैधिक शिक्षा का विशेष महत्व है। जनपद में डिग्री, डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र स्तर की शिक्षा की व्यवस्था है। जनपद में 9 विद्यालयों में डिग्री स्तर की प्रावैधिक शिक्षा की व्यवस्था है। जनपद के दो पोलिटेक्निक संस्थानों में वर्ष 2012-13 में विभिन्न ट्रेडों में 1267 सीटों के विपरीत 1101 विद्यार्थी भर्ती हुए। जनपद में 7 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न ट्रेडों की 512 स्वीकृत सीटों के सापेक्ष 527 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

17.3.2 वर्ष 1847 ई0 में थामसन कालेज आफ इन्जिनियरिंग के रूप में स्थापित 163 वर्ष पुराना कालेज आई0आई0टी0 रुड़की जनपद में कार्यरत है जिसे देश के अग्रणी तकनीकी शिक्षा, शोध एवं विकास संस्थान के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसमें बी0 ई0 एण्ड आर्किटेक्चर के पाठ्यक्रमों में शिक्षा की व्यवस्था भी है। इस प्रकार जनपद हरिद्वार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अन्य जनपदों से अग्रणी है।



17.3.3 जनपद में 2 राजकीय आयुर्वेदिक कालेज है। जिनमें सी0पी0एम0टी0 से चयनित छात्र/छात्राओं हेतु आयुर्वेद के साथ-साथ आधुनिक चिकित्सा शिक्षण की व्यवस्था भी की गई है। ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में स्नातकोत्तर विषयों में अध्ययन की सुविधा है।

अध्याय-18 चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य

18.1 स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ समाज का निर्माण करते हैं जो कि राष्ट्र को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में समर्थ होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अन्तर्गत सबके लिए स्वास्थ्य की परिकल्पना की गई है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह अपेक्षित है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं का प्रसार इस प्रकार किया जाए कि सभी नागरिकों को इन सेवाओं का लाभ सुलभ हो सके। चिकित्सा विभाग द्वारा पल्स पोलियो अभियान व टीकाकरण योजना के अतिरिक्त जननी सुरक्षा योजना, अन्धता निवारण कार्यक्रम, कुष्ठ निवारण कार्यक्रम, क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम, मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम एवं एड्स नियन्त्रण कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं, जिससे समाज में बीमारियों के प्रति फैला अन्ध विश्वास दूर हो रहा है तथा समस्त राष्ट्रीय कार्यक्रमों का लाभ जन सामान्य को मिल रहा है।



18.2 एलोपैथिक चिकित्सा

18.2.1 आधुनिक चिकित्सा पद्धति में एलोपैथिक त्वरित आराम पहुँचाने की दृष्टि से सर्वाधिक लोकप्रिय है। जनपद में उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 27 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिला चिकित्सालय पुरुष एवं महिला, मेला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय रुड़की में प्रस्वोतर केन्द्र एवं एक महिला चिकित्सालय ज्वालापुर में स्थापित/कार्यरत है।

18.2.2 जनपद में वर्ष 2012-13 में उक्त स्वास्थ्य केन्द्रों में 1415 शय्यायें उपलब्ध हैं। उक्त समस्त चिकित्सालयों एवं औषधालयों में 167 डाक्टर तथा 817 अन्य मेडिकल कर्मचारी कार्यरत हैं।

18.2.3 वर्ष 2012-13 में जनपद में 13 परिवार एवं मातृत्व शिशु कल्याण केन्द्र तथा 165 परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण उपकेन्द्र कार्यरत हैं तथा यह सभी परिवार एवं मातृ शिशु कल्याण केन्द्र तथा उपकेन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में स्थित हैं।

18.4 आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा

18.4.1 जनपद में प्राचीन एवं परम्परागत आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास एवं प्रसार पर निरन्तर शोध किया जा रहा है। वर्ष 2012-13 में जनपद में 25 आयुर्वेदिक चिकित्सालय एवं औषधालय एवं 5 यूनानी चिकित्सालय कार्यरत रहे। इन 25 चिकित्सालयों में 424 शैय्याएँ उपलब्ध है तथा 103 डाक्टर कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त जनपद में 02 राजकीय आयुर्वेदिक विद्यालय हैं जिनमें आयुर्वेदिक चिकित्सा की व्यवस्था है।



18.5 होम्योपैथिक चिकित्सा

18.5.1 सस्ती चिकित्सा पद्धति के रूप में होम्योपैथिक चिकित्सा पर्याप्त लोकप्रियता अर्जित कर रही है। वर्ष 2012-13 में जनपद में 14 होम्योपैथिक चिकित्सालय एवं औषधालय ग्रामीण क्षेत्र में एवं एक नगरीय क्षेत्र में कार्यरत है। जिनमें कुल 12 डाक्टर नियुक्त हैं।



Ж Ж Ж Ж Ж

अध्याय-19 जल सम्पूर्ति

19.1 जल निगम

19.1.1 जल ही जीवन है। जनपद में जल सम्पूर्ति हेतु नगरीय क्षेत्र में जल संस्थान एवं ग्रामीण क्षेत्र में स्वजल के माध्यम से आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2012-13 तक जनपद के सभी नगरीय क्षेत्रों में जल सम्पूर्ति की व्यवस्था उपलब्ध है। वर्ष 2012-13 में सामान्यतः प्रयोग में लाये जा रहे स्रोतों के अनुसार जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध जल की आपूर्ति कुल 9723 इन्डिया मार्क 2 हैण्डपम्प द्वारा की जा रही है। इसके अतिरिक्त जनपद हरिद्वार में 14 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का निर्माण जल निगम द्वारा किया गया है, जिनमें से 11 नगरीय एवं 3 ग्रामीण योजनाओं का अनुरक्षण जल निगम द्वारा किया जा रहा है। जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012-13 तक 513 ग्रामों को पूर्ण आच्छादित किया गया। बी0एच0ई0एल0 नगर पंचायत एवं कौन्ट एरिया को छोड़ कर शेष नगरीय क्षेत्र का नल द्वारा पेयजल वितरण का दायित्व जल संस्थान का है। वर्ष 2012-13 तक सभी गाँवों में जल की व्यवस्था की गई है।



19.2 जल संस्थान

19.1.2 उत्तराखण्ड जल संस्थान द्वारा 7 नगरीय एवं 15 ग्रामीण योजना एवं रूड़की नगर की जलोत्सारण योजना का रख रखाव किया जा रहा है, जिसमें 7 नगर 68 ग्राम एवं 12 उपग्राम सम्मिलित हैं। जनपद हरिद्वार में 57491 घरेलू जल संयोजन एवं 3513 अघरेलू जल संयोजन के माध्यम से जनता को शुद्ध एवं क्लोरीनयुक्त पेयजल आपूर्ति की जा रही है। वर्ष 2012-13 में कुल मांग ₹ 1296.35 लाख के सापेक्ष ₹ 788.84 लाख का राजस्व प्राप्त हुआ।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में कराये गये कार्यों का विवरण

- 1- जिला योजना वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल योजनाओं की मरम्मत हेतु कुल ₹ 166.56 लाख की अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष ₹ 48.48 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई जिसका वर्ष 2012-13 में पूर्ण उपयोग कर लिया गया है।
- 2- राज्य योजना वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत शिवालिक नगर में नये नलकूप का खनन, निर्माण एवं तत्सम्बन्धी कार्य कराया गया है।

3— राज्य योजना 2012-13 के अन्तर्गत रुड़की जलोत्सारण योजना की मरम्मत एवं रख रखाव के कार्य कराये गये हैं।

19.2 स्वजल परियोजना

19.2.1 जनपद हरिद्वार में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था स्वजल विभाग द्वारा की जा रही है। इस योजना में ओवर हैड टैंक द्वारा पानी का वितरण किया जा रहा है। विश्व बैंक द्वारा पोषित सेक्टर प्रोग्राम उत्तराखण्ड राज्य में वृहद स्तर पर प्रारम्भ किया गया है। जनसहभागिता को अपनाते हुये एवं भविष्य में पेयजल योजनाओं के समुचित देखभाल को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कार्यक्रम जनपद हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति हेतु आंशिक आच्छादित ग्रामों में प्रारम्भ किया गया है।



जिला परियोजना प्रबन्धन इकाई, स्वजल, हरिद्वार द्वारा सम्पादित किये जा रहे कार्यों का विवरण सेक्टर कार्यक्रम (मांग आधारित)

ग्राम पंचायत की उप-समिति के रूप में लोकतांत्रित प्रतिनिधित्व के आधार पर गठित उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उप-समिति द्वारा परियोजनाओं के समस्त क्रियाकलापों का प्रबन्धन।

मुख्य उद्देश्य:- पेयजल एवं स्वच्छता क्षेत्र के अन्तर्गत सुधार की नीतियों को लागू करना, विकेन्द्रीकरण द्वारा संस्थागत क्षमता विकसित करना। 73वें संवैधानिक संशोधन के अनुरूप पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका में वृद्धि करना व स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।



परियोजना की सोच

- ❖ ऐसे गांवों का चयन जहाँ पीने के पानी की कमी हो अथवा पानी की गुणवत्ता खराब हो और जीवन में सुधार लाने की मांग हो।
- ❖ पेयजल अभाव वाले गांव वालों के निर्णय को सबसे अधिक महत्व
- ❖ योजना का नियोजन, निर्माण तथा संचालन एवं रखरखाव ग्रामवासियों द्वारा।
- ❖ गांव के विकास व निर्माण कार्यों में चयनित सवैच्छक संस्थाओं द्वारा एक ही जगह से मदद।
- ❖ पीने के पानी और स्वच्छता की तकनीकों के चयन के विभिन्न विकल्प।

उपभोक्ता पेयजल एवं स्वच्छता उपसमिति का गठन पेयजल योजना के निर्माण, संचालन एवं रखरखाव के लिये किया जाता है। उक्त उपसमिति में 7 से 12 तक सदस्य होते हैं जिसका पदेन अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है।

वर्ष 2012-13 के दौरान निर्माणाधीन पेयजल योजनायें

क्र०सं०	विकास खण्ड	योजनाओं की संख्या
1	भगवानपुर	05
2	बहादुराबाद	04
3	नारसन	03
4	लक्सर	05
5	खानपुर	02

निर्मल भारत अभियान

12वीं पंचवर्षीय योजना में सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का परिवर्तित नाम 'निर्मल भारत अभियान' के नाम से जाना जाता है। जनपद हरिद्वार में निर्मल भारत अभियान भारत सरकार के मार्ग निर्देशानुसार पूरे राज्य में व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, स्कूल शौचालय, आंगनबाड़ी शौचालय बनाने व गांवों में शत-प्रतिशत स्वच्छता आच्छादन किये जाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में कम लागत वाली उपयुक्त प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हुये वातावरण के प्रति ग्रामीण के दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना।

व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय-

❖ बी०पी०एल० परिवारों को शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरान्त ₹ 4600 प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

❖ ए०पी०एल० परिवारों में मात्र एस०सी०/एस०टी०, लघु एवं सीमांत किसान, भूमिहीन श्रमिक जिनके गृह स्थायी हों, शारीरिक रूप से विकलांग एवं महिला मुखिया परिवारों को शौचालय निर्माण एवं उपयोग के उपरान्त ₹ 4600 प्रोत्साहन राशि की प्रोत्साहन धनराशि दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

विद्यालय शौचालय- सभी सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर बालको एवं बालिकाओं हेतु पृथक-पृथक शौचालय इकाई के निर्माण हेतु ₹ 35000 की धनराशि प्रति इकाई अनुमन्य है। शौचालय इकाई में एक शौचालय एवं दो मूत्रालय होते हैं।

आंगनबाड़ी शौचालय- सरकारी भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल अनुकूल शौचालय इकाई के निर्माण हेतु ₹ 8000 की धनराशि अनुमन्य है।

ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन :- इस मद में ₹ 7/12/15/20 लाख का प्राविधान ग्राम पंचायतों के परिवारों की संख्या 150/300/500 एवं 500 से अधिक परिवारों के लिये रखा गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्यों को परियोजना मोड में चलाते हुये निर्मल ग्राम हेतु लक्षित ग्राम पंचायतों एवं निर्मल ग्राम पुरस्कार से पूर्व में पुरस्कृत ग्राम पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्वित किया जाना है।

वर्ष 2012-13 के दौरान शौचालय निर्माण की प्रगति

कुल निर्मित व्यक्तिगत घरेलू शौचालय		कुल
बी०पी०एल०	ए०पी०एल०	
4094	11143	15237

निर्मल ग्राम पुरस्कार :- निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत शौचालय आच्छादित ग्रामों/ग्राम पंचायतों को निर्मल ग्राम पुरस्कार, जनसंख्या के आधार पर वितरित किया जाता है, जो अधोलिखित मानकों को पूरा करती हैं :-

1. ग्राम पंचायतों के सभी घरों में शौचालय की सुविधा हो। परिवार के सभी लोग शौचालय का उपयोग करते हों, तथा कोई भी खुले में शौच न जाता हो।
2. ग्राम पंचायत के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल सुलभ शौचालय की सुविधा हो।
3. विद्यालयों में बालक एवं बालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय यूनिट की सुविधा हो।
4. ग्राम पंचायत में ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत कूड़े एवं गन्दे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो तथा साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा हो।



निर्मल ग्राम पुरस्कार के अन्तर्गत प्रशस्ति पत्र के साथ-साथ स्वच्छता सुविधाओं को बढ़ावा देने हेतु जनसंख्या के आधार पर अधोलिखित विवरणानुसार धनराशि प्रदान की जाती है—

विवरण	ग्राम पंचायत स्तर पर					ब्लॉक स्तर पर		जनपद स्तर पर	
	1000 से कम	1000 से 1999	2000 से 4999	5000 से 9999	10000 एवं ज्यादा	50000 तक	50000 एवं ज्यादा	1000000 तक	1000000 एवं ज्यादा
पंचायती राज संस्थाओं हेतु	₹ 01 लाख	₹ 02 लाख	₹ 04 लाख	₹ 08 लाख	₹ 10 लाख	₹ 15 लाख	₹ 20 लाख	₹ 30 लाख	₹ 50 लाख

वर्ष 2012-13 के दौरान जनपद हरिद्वार की कुल 03 ग्राम पंचायतों (01 ग्राम पंचायत रूडकी तथा 02 ग्राम पंचायतें लक्सर विकास खण्ड) को निर्मल ग्राम पुरस्कार हेतु प्रस्तावित किया गया है।

ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम
भारतवर्ष में लगभग 80 प्रतिशत बीमारियां जल-जनित आधारित होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र में राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल गुणवत्ता परीक्षण किट उपलब्ध कराना है ताकि ग्रामीण अपने गांव के पेयजल स्रोतों के जल का परीक्षण ग्राम पंचायत स्तर पर स्वयं कर सकें।



वर्ष 2012-13 की प्रगति

क्र०सं०	विवरण	संख्या
1	पेयजल स्रोतों का परीक्षण	761
2	आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का प्रशिक्षण	183
3	परीक्षण किट का वितरण	151

19.3 गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई

19.3.1 भारतवर्ष में गंगा नदी करोड़ों लोगों की जीवनदायनी है। गंगा नदी भारतवासियों की संस्कृति, संस्कार, परम्परा एवं स्वास्थ्य में समाहित है। अनादि काल से हम भारतवासी गंगा नदी को विभिन्न रूपों में दोहन करते आये हैं जिस कारण गंगा नदी का जल प्रदूषित हुआ। केन्द्रीय जल प्रदूषण विभाग द्वारा दिसम्बर-1984 में गंगा बेसिन ने जल का सर्वेक्षण

कार्य कराया गया जिसमें पाया गया कि गंगा नदी के पानी में स्वतः शुद्धिकरण का गुण होने के बावजूद भी अनेकों स्थलों पर गंगा नदी का जल अत्यन्त प्रदूषित है।

तालिका-19.1

हरिद्वार नगर में वर्ष 1985 से पूर्व सीवर सम्बन्धित आधारभूत सुविधाएं

योजना का नाम	इकाई	पूर्ति
सीवर लाईन	किमी	72
सीवेज पम्पिंग स्टेशन	संख्या	5

राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश पर गंगा कार्यकारी योजना के प्रथम चरण में वर्ष 1985 में गंगा प्रदूषण नियंत्रण हेतु हरिद्वार नगर का चयन किया गया जिसमें सीवर सम्बन्धित कार्य हेतु तत्कालीन उत्तर प्रदेश जल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया जिसके फलस्वरूप गंगा प्रदूषण नियंत्रण इकाई, हरिद्वार का गठन किया गया।

तालिका-19.2

गंगा कार्यकारी योजना के प्रथम चरण में हरिद्वार नगर में सम्पादित कराये गये कार्य

योजना का नाम	इकाई	पूर्ति
नाला टैपिंग	संख्या	11
सीवर लाईन	किमी	9.54
एस0टी0पी	संख्या	1 (18 एम0एल0डी0 क्षमता)
सीवेज चैनल	किमी	3.97
कुल व्यय		₹ 1224.94 लाख

तालिका-19.3

गंगा कार्यकारी योजना के द्वितीय चरण/सुप्रीम कोर्ट टाउन्स के अन्तर्गत हरिद्वार-रानीपुर नगर में सम्पादित कराये गये कार्य

योजना का नाम	इकाई	पूर्ति
कुल योजनाएं	संख्या	5
कुल स्वीकृत लागत	—	₹ 652.22 लाख
नाला टैपिंग	संख्या	9
सीवर लाईन	किमी	4.57 कि0मी0
राइजिंग मेन	किमी	0.82 कि0मी0
एम0पी0एस0	संख्या	1
एस0टी0पी	संख्या	1 (8 एम0एल0डी0 क्षमता)
एल0सी0एस0	संख्या	8

तालिका-19.4

विशेष केन्द्रीय वित्तीय सहायता के अन्तर्गत हरिद्वार नगर में सम्पादित कराये गये कार्य

योजना का नाम	इकाई	पूर्ति
कुल योजनाएं	संख्या	4
कुल स्वीकृत लागत	—	रु0 3830.07 लाख
नाला टैपिंग	संख्या	1
ट्रंक सीवर लाईन	किमी	8.53
स्वच्छ जल पृथकीकरण लाईन	किमी	3.20
राइजिंग मेन	किमी	3.32 *
एस0टी0पी0	संख्या	1 (27 एम0एल0डी0 क्षमता) 1 (9 एम0एल0डी0 क्षमता)*

*उक्त कार्य उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग से भूमि हस्तान्तरण एवं पुल क्रॉसिंग की अनुमति प्राप्त न होने के कारण लम्बित है।

तालिका-19.5

कुम्भ मेला-2010 के अन्तर्गत हरिद्वार नगर में सम्पादित कराये गये कार्यों का विवरण

योजना का नाम	इकाई	पूर्ति
कुल योजनाएं	—	14 नग
कुल स्वीकृत लागत	—	रु0 3764.93 लाख
नाला टैपिंग	—	3 नग (कुम्भ मेलावधि में अस्थायी रूप से)
सीवर लाईन	—	29.41 कि0मी0
राइजिंग मेन	—	7.22 कि0मी0
एस0टी0पी के अतिरिक्त कार्य	—	1 नग
एम0पी0एस0	—	2 नग
सीवर क्लीनिंग मशीन का क्रय	—	4 नग
सक्शन कम जैटिंग मशीन का क्रय	—	4 नग

तालिका-19.6

एन0जी0आर0बी0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1. हरिद्वार नगर के अन्तर्गत अहबाब नगर की जलोत्सारण योजना स्वीकृत की गयी है।	स्वीकृत लागत ₹ 2384.00 लाख (5 वर्ष के रखरखाव सहित कार्य प्रगति पर है)
2. हरिद्वार नगर के अन्तर्गत अहबाब नगर 18 एम0एल0डी0 मल-जल शोधन संयंत्र, ज्वालापुर सराय योजना स्वीकृत की गयी है।	स्वीकृत लागत ₹ 2359.00 लाख (5 वर्ष के रखरखाव सहित)

तालिका-19.7

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य

1. हरिद्वार नगर के अन्तर्गत जोन डी कनखल क्षेत्र एवं जोन ई-1 आर्यनगर जलोत्सारण योजना स्वीकृत की गयी है।	स्वीकृत लागत ₹ 2698.00 लाख कार्य प्रगति पर है
2. हरिद्वार नगर के अन्तर्गत जोन सी-2 क्षेत्र की जलोत्सारण योजना स्वीकृत की गयी है।	स्वीकृत लागत ₹ 748.33 लाख कार्य प्रगति पर है

पंचायत राज विभाग

1- **राज्य वित्त आयोग** :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के लए ₹ 89031000.00 की धनराशि का आवंटन किया गया। आवंटित धनराशि से ग्राम पंचायतों द्वारा विभिन्न कार्य जैसे-सी0सी0 मार्ग पेयजल योजना खडंन्जा प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य करये गये है।

2- **राज्य वित्त आयोग** :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत शासन द्वारा क्षेत्र पंचायतों के लिए ₹ 52984000.00 आवंटित किया गया। आवंटित धनराशि से क्षेत्र पंचायतों द्वारा विभिन्न कार्य जैसे- सी0सी0मार्ग पेयजल योजना खडंन्जा प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य कराये गये है।

3- **क्षेत्र पंचायत विकास निधि** :- वित्तीय वर्ष 2012-13 में क्षेत्र पंचायत विकास निधि के अन्तर्गत ₹ 5347000.00 आवंटित किया गया था। इस धनराशि से सी0सी0 मार्ग पेयजल योजना प्रकाश व्यवस्था आदि कार्य कराये गये।

20.1 जीवन दायनी, मोक्ष प्रदायनी, पतित पावनी माँ गंगा नदी के उद्गम स्थल गोमुख-गंगोत्री से करीब 300 कि०मी० नीचे समतल में माँ गंगा की धारा के किनारे व दाहिने तट पर बसे हरिद्वार, जहाँ एक और उत्तराखण्ड के चार पवित्र धामों के लिये प्रवेश द्वार है, वहीं पुराणों में चर्चित गंगा द्वार के नाम से प्रख्यात यह नगर देव नदी माँ गंगा के लिये प्रथम समतल भूमि प्रदान करता है। शिवालिक पर्वत माला के छोर पर "विल्व" पर्वत और नील पर्वत के मध्य लम्बाई में बसा यह छोटा सा खूबसूरत नगर अपनी प्राकृतिक सुषमा मनोहरी गंगा तटों, वहाँ होने वाली पूजा एवं आरतियों के सुन्दर नयनाभिराम दृश्यों, शिवालिक वन और पहाड़ों वाली प्राकृतिक विरासत, मन्दिर, आश्रम और अखाड़ों के कारण यह प्रचीन काल से व्यापारी, घुमक्कड़ों, तीर्थ यात्रियों और माँ गंगा के भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ प्रत्येक बारहवें वर्ष कुम्भ व छठे वर्ष अर्द्ध कुम्भ के स्नान होते हैं। इन पर्वों में करोड़ों लोग स्नान कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं।



20.2 जनपद हरिद्वार में स्थित जिला स्तरीय कार्यालय के अधीन रेलवे स्टेशन हरिद्वार एवं राही मोटल में यात्रियों/पर्यटकों के सुविधार्थ सूचना केन्द्रों की स्थापना की गई है।

20.3 ग्रेट ग्रीनविस्टा परियोजना के द्वितीय चरण के कार्यों के अन्तर्गत हरकी पैड़ी के सामने मुख्य हाईवे मार्ग के किनारे धोबी घाट के समीप एक आधुनिक एवं सुव्यवस्थित पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण कर यात्रियों/पर्यटकों के सुविधार्थ जनउपयोग में संचालन प्रारम्भ किया गया।

20.4 यात्रियों/पर्यटकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए ललतारों पुल से ले कर हरकी पैड़ी तक गंगा के किनारे स्थित घाटों का अलकनन्दा घाट की भाँति जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण की गत वर्ष से संचालित ₹ 106.00 लाख की परियोजना को पूर्ण करवाकर जनउपयोग में संचालन किया गया।

20.5 उत्तराखण्ड सरकार द्वारा क्रियान्वित एवं महत्वकांक्षी रोजगारपरक वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के बेरोजगार युवाओं को पर्यटन से जुड़ी विभिन्न योजनाओं तथा वाहन क्रय करने, 8-10 कक्षीय मोटलनुमा आवासीय इकाई की स्थापना करने, मोटर गैराज/वर्कशाप निर्माण, फास्टफूड सेन्टर की स्थापना, साधना कुटीर/योग ध्यान केन्द्र की स्थापना, सोवोनियर शाप, साहसिक क्रियाकलापों हेतु उपकरणों का क्रय, पी०सी०ओ० युक्त पर्यटन सूचना केन्द्र/रेस्टोरेन्ट तथा टेन्टेज आवासीय सुविधाओं का विकास करने हेतु उनके द्वारा आवेदित योजना लागत के सापेक्ष


25 प्रतिशत (जिसकी अधिकतम सीमा ₹ 5.00 लाख नियत है) अनुदान धनराशि का भुगतान आवेदक को योजना के क्रियान्वयन के उपरान्त उसके वित्त पोषित बैंक को किया जाता है।

20.6 जनपद हरिद्वार में पर्यटकों के ठहरने हेतु 02 पर्यटन आवास गृह, 415 होटल तथा पेइंग गेस्ट हाऊस एवं 262 धर्मशालाएँ हैं। जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012-13 में 13454650 भारतीय पर्यटक एवं 26722 विदेशी पर्यटक सहित कुल 13481372 पर्यटक आये।


20.9 हरिद्वार के ऐतिहासिक एवं दर्शनीय पर्यटन स्थल

20.9.1 माँ गंगा के तट पर बसा जनपद हरिद्वार का तीर्थों में महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर अनेक मन्दिर, आश्रम एवं दर्शनीय स्थल हैं। माया देवी मन्दिर, चण्डी देवी, भीम गोडा तालाब, पिरान कलियर, ऐतिहासिक तीसरी पातसाही का गुरुद्वारा आदि जैसे अनेक दर्शनीय स्थल हैं जो पर्यटक सैलानियों एवं भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हर की पौड़ी का तो शास्त्रों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक सांय काल हर की पौड़ी पर पतित पावनी माँ गंगा की आरती के समय आलौकिक दृश्य होता है। जहाँ विश्व भर के लोग माँ गंगा के इस रूप का दर्शन करने आते हैं और अपना जीवन धन्य मानते हैं।

20.9.2 मंसादेवी मन्दिर : हरिद्वार में शिवालिक पर्वत श्रृंखला के एक शिखर पर मंसादेवी मन्दिर स्थित है। ब्रह्मा के मन से उत्पन्न तथा ऋषि जरतत्कारु की पत्नी सर्पराज्ञी देवी माँ मंसा की यही तीन मुख और पांच भुजाओं वाली अष्टनाग वाहिनी मूर्ति स्थापित है। नवचण्डी में मंसादेवी को दशमशक्ति कहा गया है। इस पवित्र मन्दिर पर पैदल व रोप वे द्वारा जाया जाता है। मन्दिर से हरिद्वार का विहंगम दृश्य भी दिखायी देता है।



20.9.3 चण्डीदेवी मन्दिर : चण्डीदेवी मन्दिर कहा जाता है कि जहाँ मंसा देवी हो वहीं चण्डी देवी का होना अनिवार्य होता है। हरिद्वार के एक छोर पर मंसा देवी और दूसरे छोर पर चण्डी देवी का मन्दिर स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार तंत्र-मंत्र की सिद्धि दात्रि चण्डी देवी ने इसी स्थान पर शुम्भ और निशुम्भ नामक असुरों का वध किया था। इस कथा की पुष्टि इस बात से भी होती है कि इसी पर्वत श्रृंखला पर नीलकंठ महादेव के पास शुम्भ और निशुम्भ नाम के दो पर्वत आज भी स्थित हैं।



वर्तमान मन्दिर में माँ काली की प्रतिमा स्थापित है। चण्डी देवी मन्दिर जाने के लिये उड़नखटोला रज्जु मार्ग बन गया है। चण्डी देवी मन्दिर के पास ही हनुमान जी की माता अन्जली देवी का मन्दिर स्थापित है।

20.9.4 हरकी पैड़ी : यह पवित्र स्नानघाट ब्रह्मकुण्ड के रूप में विख्यात है। यह पवित्र घाट राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृगुहरि की स्मृति में बनवाया था ऐसा विश्वास किया जाता है कि भर्तृहरि मन की एकाग्रता के लिये पवित्र गंगा के तट पर आये, जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके नाम पर हरकी पैड़ी के नाम पर यह स्थान प्रसिद्ध हो गया।



20.9.5 विल्वकेश्वर महादेव मन्दिर: शिव के प्रमुख स्थानों में एक विल्वकेश्वर महादेव का मन्दिर है। इस मन्दिर के निकट स्थित विल्व पर्वत की तलहटी में हिमालय की पुत्री शैलजा उमा गौरी ने भगवान शिव की प्राप्ति के लिये घोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें यहाँ दर्शन दिये थे।

20.9.6 दक्ष महादेव मन्दिर : हरिद्वार के उपनगर कनखल में स्थित दक्ष मन्दिर को शास्त्रों में मुख्य तीर्थ स्थल कहा जाता है। कनखल भगवान शिव की ससुराल कहलाती है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की पत्नी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने इस स्थान पर यज्ञ किया था। यज्ञ के समय भगवान शिव को आमंत्रित न करने पर उनकी पत्नी ने अपमानित महसूस किया और इस यज्ञ कुण्ड में अपनी आहुति दे दी। यह देख कर क्रुद्ध होकर महादेव शिव के अनुयायी वीर भद्र ने राजा दक्ष का वध कर दिया, परन्तु बाद में महादेव ने पुनः जीवन दिया। दक्ष प्रजापति ने बाद में अपनी गलती महसूस करते हुए इस स्थान पर भगवान शिव की स्थापना की। यहाँ पर लण्डौरा के राजा की रानी घनकौर ने 1810 में दक्ष महादेव मन्दिर का निर्माण कराया।



20.9.7 सप्तऋषि आश्रम : कहा जाता है कि जब गंगा जी पृथ्वी पर उतरी तो हरिद्वार के निकट सप्तऋषियों के आश्रम एक ही स्थान पर देख रुक गयी और यह निर्णय नहीं कर पाई कि किस ऋषि के आश्रम के सामने से शेष ऋषियों के आश्रम को छोड़ दे, क्योंकि प्रश्न सभी ऋषियों के सम्मान का था एवं उनके कोपभाजन बनने का भी भय था तब असमंजस में रूकी हुई गंगा देवी को देवताओं ने सात धाराओं में विभक्त होने को कहा, तब गंगा इस स्थान पर सात धाराओं में विभक्त होकर बही और यह क्षेत्र सप्तसरोवर और सप्तऋषि नाम से विख्यात हुआ। आज भी यहां सप्तऋषि आश्रम स्थापित है।

20.9.8 सती कुण्ड : कनखल-लक्सर मार्ग पर प्राचीन सतीकुण्ड का अपना इतिहास है। पुराणों के अनुसार इसी स्थान पर दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ करवाया था। जिसमें भगवान शिव का अपमान हुआ तथा सती ने कुण्ड में कूद कर यज्ञाहुति दे दी। इसी कारण यह कुण्ड सतीकुण्ड के रूप में प्रसिद्ध हो गया।



20.9.9 भीमगोडा : महाभारत के एक प्रसंग के अनुसार परमवीर भीमसेन के घोड़े को ऋषिकेश मार्ग पर हरिद्वार के बाहर एक स्थान पर ठोकर लगी। ठोकर वाले स्थान पर

एक कुण्ड बन गया जो बाद में भीमसेन के घोड़े की ठोकर से बनने के कारण भीमगोडा कुण्ड के रूप में प्रसिद्ध हुआ।

20.9.10 भारत माता मन्दिर : सप्तसरोवर मार्ग पर स्थित यह मन्दिर आठ मंजिला है। यह मन्दिर भारत दर्शन एवं इष्ट देवी देवताओं के दर्शन के लिए विख्यात है। इसका निर्माण वर्ष 1983 में हुआ था। मन्दिर की हर मंजिल पर जाने हेतु लिफ्ट की भी व्यवस्था है। सबसे ऊपरी मंजिल में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त भवन में भारत के विभिन्न प्रान्तों का चित्रण कराया गया है।



20.9.11 पिरान कलियर : यह हजरत अलाउद्दीन अहमद 'साबिर' की दरगाह है। हरिद्वार रूडकी बाह्य क्षेत्र में स्थित प्रत्येक आगन्तुक के लिए दर्शनीय स्थल है। पिरान कलियर हिन्दू और मुस्लिम धर्मों के बीच एकता की एक जीवंत मिसाल है। दरगाह पर प्रतिवर्ष भारत तथा विदेशों के लाखों हिन्दू मुस्लिम श्रद्धालू आते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि दरगाह पर मनौती करने वालों की इच्छायें पूरी होती हैं।



20.9.1 ऐतिहासिक तीसरी पातशाही का गुरुद्वारा : प्राचीन तीर्थ स्थल में सती घाट गंगा के तट पर बाबा दरगाह सिंह के डेरे के नाम से सिक्खों का एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। इस स्थान पर सिक्खों के तीसरे गुरु अमरदास जी महाराज अपने जीवन काल में 23 बार यहाँ पधारे तथा यहाँ पर वर्षों रहकर तप किया। यहाँ पर रहकर उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, जिसे कालान्तर में देश की सरकार ने कानून का रूप दिया बाद में यह स्थान बाबा दरगाह सिंह की सुपुर्दगी में आया और इस स्थान पर गद्दी परम्परा आरम्भ हो गयी।

Ж Ж Ж Ж Ж

अध्याय-21 सेवायोजन एवं श्रमशक्ति

21.1 राज्य सरकार के कर्मचारी

21.1.1 जनपद में गत वर्ष में राज्य सरकार के कार्यालयों में 11101 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें 5321 चतुर्थ श्रेणी, 5385 तृतीय श्रेणी, 308 द्वितीय श्रेणी, 87 प्रथम श्रेणी के कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं। जनपद में रोजगार सुलभ कराने में राज्य सरकार, अर्द्धसरकारी व स्थानीय निकायों की महत्वपूर्ण भूमिका है।

21.2 सेवायोजन जनपद में प्रशिक्षण एवं सेवायोजन कार्यालय के अनुसार वर्ष 2012-13 में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या 17295 है। सेवायोजन विभाग द्वारा वर्ष 2012-13 में कुल 25 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया।

21.2.1 प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय द्वारा अप्रशिक्षित अभ्यर्थियों को सवैतनिक रोजगार उपलब्ध कराने की हेतु 7 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये गये हैं।

तालिका 21.1

जनपद में सेवायोजन कार्यालय द्वारा किया गया कार्य

क्र० सं०	मद	2010-11	2011-12	2012-13
1	सेवायोजन कार्यालयों की संख्या	01	01	01
2	जीवित पंजिका पर अभ्यर्थियों की संख्या	41095	52869	62007
3	वर्ष में पंजीकृत अभ्यर्थियों की संख्या	21753	25733	17295
4	सूचित रिक्तियों की संख्या	50	351	—
5	वर्ष में कार्य पर लगाये गये व्यक्तियों की संख्या	50	83	25

21.3 आर्थिक गणना

21.3.1 आर्थिक गणना 2005 के अनुसार जनपद में 62437 उद्यम कार्यरत हैं जिनमें से 11.93 प्रतिशत (7447) कृषि उद्यम तथा शेष 88.07 प्रतिशत (54990) अकृषि उद्यम हैं। कुल उद्यमों में 51.04 प्रतिशत (31870) ग्रामीण क्षेत्र में तथा 48.96 प्रतिशत (30567) उद्यम नगरीय क्षेत्र में स्थित है।

21.3.2 कुल 62437 उद्यमों में से 45353 (72.63 प्रतिशत) स्वकार्य उद्यम व 17084 (27.37 प्रतिशत) संस्थान हैं। इन उद्यमों में कुल 134784 पुरुष व 16364 स्त्रियां सहित 155757 व्यक्ति कार्यरत हैं। कुल उद्यमों में 17084 संस्थान हैं जिनमें भाड़े पर सामान्यतया 83151 कर्मचारी कार्यरत हैं। भाड़े पर कार्यरत व्यक्तियों में पुरुष व स्त्रियां क्रमशः 71072 व 10086 हैं।

तालिका 21.2

आर्थिक गणना 1998 व 2005 के आँकड़े

क्र० सं०	मद	वर्ष 1998	वर्ष 2005
1	उद्यमों की संख्या		
1.1	कृषि	1548	7447
1.2	अकृषि	41472	54990
1.3	योग	43020	62437
2	संस्थानों की संख्या जिनमें सामान्यतया भाड़े पर व्यक्ति कार्यरत हैं (कृषि+अकृषि)	10484	17084
3	स्वकार्य उद्यमों की संख्या (कृषि+अकृषि)	32536	45353
4	उद्यमों में सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति (अवैतनिक तथा भाड़े पर कार्यरत)		
4.1	पुरुष	100744	134784
4.2	स्त्री	9576	16364
4.3	योग (बच्चे सहित)	110320	155757
5	भाड़े पर सामान्यतया कार्यरत व्यक्ति		
5.1	पुरुष	53557	71072
5.2	स्त्री	6142	10086
5.3	योग (बच्चे सहित)	59699	83151

✽ ✽ ✽ ✽ ✽

अध्याय-22

निर्बल वर्ग आय हेतु कल्याणकारी कार्यक्रम

22.1 अनुसूचित जाति कल्याण

22.1.1 अनुसूचित जाति कल्याण को मिलने वाली छात्रवृत्तियां कक्षा 1 से 5 में ₹ 600 वार्षिक, कक्षा 6 से 8 में ₹ 960 वार्षिक एवं कक्षा 9 से 10 में ₹ 1500 वार्षिक की दर से धनराशि छात्रों/अभिभावकों के द्वारा खुलवाये गये बचत खातों में जमा करायी जाती है। जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012-13 में उक्त छात्रवृत्तियों पर वित्तीय व्यय ₹ 685.98 लाख एवं कुल दी गयी छात्रवृत्तियां 69368 हैं।

22.1.2 अनुसूचित जाति के पुत्रियों की शादी एवं बीमारी अनुदान योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय ₹ 15000.00 है, उनकी पुत्रियों की शादी हेतु ₹ 20000.00 तथा स्वयं की बीमारी के लिये ₹ 2000.00 दिये जाने का प्राविधान है। जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012-13 में कुल वित्तीय व्यय ₹ 150.20 लाख एवं कुल भौतिक उपलब्धि 747 रही।

22.1.3 अत्याचारों से उत्पीड़ित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों का किसी अन्य जाति के व्यक्तियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने पर शासन द्वारा आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है। अनुसूचित जाति के कमाऊ व्यक्ति की हत्या के मामले में ₹ 5.00 लाख तथा गैर कमाऊ व्यक्ति के हत्या के मामले में ₹ 2.50 लाख आर्थिक सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति की किसी महिला या लड़की के साथ किसी अन्य जाति के व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया जाता है तो उत्पीड़न के ऐसे मामले में ₹ 1.20 लाख दिये जाने का प्राविधान है। जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012-13 में अत्याचारों से उत्पीड़ित 06 व्यक्तियों को आर्थिक सहायता के रूप में ₹ 2.00 लाख दिये गये। आगजनी, चोट या अन्य प्रकार से सम्पत्ति हानि होने पर इस प्रकार के मामले में वास्तविक क्षति के मुल्यांकन के आधार पर नियमानुसार अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

22.1.4 अनुसूचित जाति पुस्तकीय सहायता योजना के अन्तर्गत मेडिकल, इंजिनियरिंग के छात्रों को ₹ 500.00 प्रति छात्र तथा पोलिटैक्निक के छात्रों को ₹ 250.00 प्रति छात्र एक मुश्त धनराशि दी जाती है।

22.1.5 अनुसूचित जाति छात्रावास/कोचिंग सेन्टर निर्माण योजना के अन्तर्गत राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास की देखरेख हेतु सामान्य व्यवस्था है।

22.1.6 जन श्री बीमा योजना के अन्तर्गत 18 से 59 वर्ष की आयु के गरीबी रेखा के नीचे अथवा उससे कुछ ऊपर जीवनयापन करने वाले मुखिया का बीमा उत्तराखण्ड शासन द्वारा किया जाता है। बीमित व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर नामित को ₹ 30000.00 दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामित को ₹ 75000.00 दिये जाने का



प्राविधान है। उपरोक्त लाभ के अतिरिक्त जनश्री बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित सदस्यों के परिवार के अधिकतम 2 बच्चों को जो कक्षा 9 से 12 के बीच में अध्ययन कर रहे होंगे उन्हें प्रति तिमाही ₹ 300.00 प्रति सन्तान की दर से छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। वर्ष 2012-13 में 210 लाभान्वित को ₹ 67.20 लाख वितरित किया गया।

22.1.7 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित योजनाओं के द्वारा अनुसूचित जाति के गरीब परिवारों को वाहन क्रय, लघु व्यवसाय, लघु वित्त ऋण, कृषि ऋण, विभिन्न प्रशिक्षण हेतु लाभान्वित किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत योजना की लागत का 85 प्रतिशत राष्ट्रीय निगम का ऋण एवं ₹ 10000.00 अनुदान एवं अवशेष धनराशि निगम की मार्जिन मनी 7 प्रतिशत ऋण द्वारा प्रदान की जाती है। इस योजनान्तर्गत निगम द्वारा सीधा वित्त पोषण किया जाता है।

22.1.8 कन्या धन योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के बीपीओएल परिवारों की कन्याओं जिन्होंने इण्टरमिडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की हो को ₹ 25000.00 का राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। वर्ष 2012-13 में कुल ₹ 72.00 लाख से 287 छात्राओं को लाभान्वित किया गया।

22.2 पिछड़ी जाति कल्याण

22.2.1 पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति योजना के अन्तर्गत कक्षा 1 से 10 तक में ₹ 1200.00 प्रति वर्ष की दर से एक मुश्त धनराशि छात्रों/अभिभावकों के द्वारा खुलवाये गये बचत खातों में जमा कराई जाती है। वर्ष 2012-13 में जनपद हरिद्वार में कुल वित्तीय व्यय ₹ 34.94 लाख एवं कुल भौतिक उपलब्धि 4924 है।

22.3 अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति

22.3.1 कक्षा 1 से 5 में ₹ 600.00 वार्षिक कक्षा 6 से 8 में ₹ 960.00 वार्षिक एवं कक्षा 9 से 10 में ₹ 1500.00 वार्षिक की दर से एक मुश्त धनराशि छात्रों/अभिभावकों के द्वारा खुलवाये गये बचत खातों में जमा करायी जाती है। वर्ष 2012-13 में जनपद हरिद्वार में कुल वित्तीय व्यय ₹ 5.99 लाख की छात्रवृत्ति दी गयी।

22.4 अल्पसंख्यक कल्याण

22.4.1 कक्षा 1 से 5 में ₹ 600 वार्षिक, कक्षा 6 से 8 में ₹ 960.00 वार्षिक एवं कक्षा 9 से 10 में ₹ 1500 वार्षिक की दर से धनराशि छात्रों/अभिभावकों के द्वारा खुलवाये गये बचत खातों में जमा करायी जाती है। वर्ष 2012-13 में जनपद हरिद्वार में कुल वित्तीय व्यय ₹ 216.00 लाख एवं कुल भौतिक उपलब्धि 22262 है।

22.6 विकलांग व्यक्ति कल्याण

22.6.1 नेत्रहीन बधिर तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों का भरण पोषण योजना के अन्तर्गत नेत्रहीन, मुकबधिर विकलांग निराश्रित व्यक्तियों को जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक न हो को ₹ 600.00 प्रति माह की दर से प्रति तिमाही ₹ 1800.00 पेंशन की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2012-13 में जनपद हरिद्वार में कुल वित्तीय व्यय ₹ 514.18 लाख में कुल 5451 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

22.7 अन्य समाज कल्याण योजनाएं

22.7.1 वृद्धावस्था पेंशन योजना के अन्तर्गत ऐसे वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष से 79 वर्ष तक हो, ऐसे व्यक्तियों को ₹ 400.00 प्रति माह एवं 80 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को

₹ 700.00 प्रति माह पेंशन की धनराशि दिये जाने का प्राविधान है। वर्ष 2012-13 में जनपद हरिद्वार में कुल वित्तीय व्यय ₹ 2056.69 लाख एवं कुल 48044 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है।

22.2 सार्वजनिक वितरण प्रणाली

22.2.1 जनपद में वर्ष 2012-13 में 531 सस्ते गल्ले की दुकाने कार्यरत है। जिनके माध्यम से जनपद में प्रचलित 384658 ए0पी0एल0 राशन कार्ड धारक, 38075 बी0पी0एल0 एवं 35148 अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न/चीनी एवं मि0 तेल उपलब्ध कराया गया। वित्तीय वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत ए0पी0एल0 योजना का 34321.238 मी0टन गेहूँ, 16146.974 मीटन चावल तथा वी0पी0एल0 योजना का 12067.475 मी0टन0 गेहूँ, 6660.468 मी0टन चावल व अन्त्योदय योजना के अन्तर्गत 4407.822 मी0टन0 गेहूँ, 9734.167 मी0टन चावल एवं 9936.95 मी0टन चीनी तथा 4328.44 कि0ली0 मिट्टी तेल का वितरण किया गया।

✖ ✖ ✖ ✖ ✖

अध्याय-23 शान्ति एवं कानून व्यवस्था

23.1 जनपद हरिद्वार में पुलिस प्रशासन ने शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 17 पुलिस स्टेशन स्थापित हैं जिनमें से 7 ग्रामीण क्षेत्र में तथा 10 नगरीय क्षेत्र में स्थित हैं। जनपद में कुल 31 पुलिस चौकियां कार्यरत हैं।



23.2 अग्नि एक सर्वनाशकारक शक्ति है इससे सुरक्षा हेतु जनपद में 5 अग्निशमन केन्द्र हरिद्वार, लक्सर, रुड़की, बी0एच0ई0एल0 रानीपुर एवं सिडकुल रोशनाबाद में स्थित हैं। अग्नि काण्डों में प्रभावी नियन्त्रण हेतु इन केन्द्रों पर मोटर फायर इंजन/जीपफायर इंजन/रैस्क्यूवैन पम्प उपकरण आदि की व्यवस्था है।

❖ ❖ ❖ ❖ ❖

तालिका 23.1

जनपद के विभिन्न थानों में अपराध सम्बन्धी अपराध सम्बन्धि दर्ज मामले

अपराध / वर्ष	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5
डकैती	6	2	8	7
लूट	42	47	67	57
गृह भेदन	48	53	77	55
शस्त्र चोरी	0	0	0	0
वाहन चोरी	191	202	253	271
ट्रांसफार्मर चोरी	2	0	0	0
तार चोरी	0	0	7	02
अन्य चोरी	159	241	284	293
हत्या	37	47	56	68
304 भा0द0वि0	10	7	13	09
307 भा0द0वि0	55	59	55	46
बलवा	108	144	156	87
गम्भीर चोट	6	5	7	9
फिरोती हेतु अपहरण	1	2	5	4
अन्य अपहरण	60	78	82	182
दहेज हत्या	22	15	22	7
376 भा0द0वि0	20	25	25	49
अन्य भा0द0वि0	1373	1561	1347	1351

*** **

अध्याय-24 अन्य विभाग

24.1 रेशम विभाग

24.1.1 जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में आर्थिक रूप से कमजोर एवं निर्बल वर्ग आय के लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 1960 के दशक से रेशम उत्पादन कार्यक्रम कुटीर उद्योग के रूप में चलाया जा रहा है। प्रारम्भ में रेशम उत्पादन कार्यक्रम वन भूमि में उपलब्ध शहतूत वृक्षों पर आधारित था, जिससे धीरे-धीरे समाप्त हो जाने के बाद स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त आय के



साधन के रूप में ग्रामीणों द्वारा निजी क्षेत्र में उपलब्ध शहतूत वृक्षों की पत्ती से इस कार्यक्रम को अंगीकृत किया गया है। वर्तमान में निजी क्षेत्र में भी शहतूत वृक्षारोपण विभागीय योजनाओं के माध्यम से कराकर इस कार्यक्रम को बढ़ाया जा रहा है। जनपद में कुल 4 राजकीय रेशम फार्म है। जिनका क्षेत्रफल 24.12 एकड़ है। इन फार्मों से जुड़े 25 से अधिक ग्रामों के 300 कीटपालकों द्वारा 5400.60 किग्रा० रेशम कोए का उत्पादन किया जा रहा है।

24.1.2 जनपद हरिद्वार में रेशम उत्पादन कार्यक्रम के लिए वर्ष 2008-09 से केन्द्रपोषित कलस्टर विकास योजना प्रारम्भ की गई है। वर्ष 2011-12 तक भगवानपुर नारसन कलस्टर में 391 एवं बहादुराबाद लक्सर कलस्टर में 117 कृषकों के यहाँ निजी क्षेत्र में शहतूत सम्पदा को बढ़ाने के लिए कुल 508 कृषकों के यहाँ 300 शहतूत पौधे प्रति कृषक की दर से शहतूत वृक्षारोपण कार्य सम्पन्न कराया गया है। कृषकों को शहतूत वृक्षारोपण के पश्चात कीटपालन गृह निर्माण हेतु रू० 45000 तथा कीटपालन उपकरण सामग्री के रूप में रू० 18000.00 की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसके अतिरिक्त शहतूत वृक्षारोपक को शहतूत वृक्षारोपण एवं उसके रख-रखाव हेतु रू० 5500 की अनुदान सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में एक नये कलस्टर लालवाला का सृजन किया गया है, जिसके अन्तर्गत 100 कृषकों के यहाँ वर्तमान वित्तीय वर्ष में शहतूत वृक्षारोपण कराते हुए उपरोक्त सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

वर्ष 2012-13 का प्रगति विवरण

क्र० सं०	मद	अवधि	इकाई	विवरण
1	सरकारी रेशम क्षेत्र 1-प्रक्षेत्र 2-क्षेत्रफल	2012-13 2012-13	संख्या एकड़	4 24.12
2	शहतूत वृक्षारोपण 1-सरकारी प्रक्षेत्र में 2-निजी क्षेत्र में	2012-13 2012-13	संख्या संख्या	100 19710
3	कोया उत्पादन	2012-13	किग्रा०	5400.600

24.2 जिला ग्राम्य विकास अभिकरण हरिद्वार


24.2.1 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 212.12 लाख के सापेक्ष ₹ 207.38 लाख व्यय किये गये। स्वयं साहयता समूह का वित्त पोषण के वार्षिक लक्ष्य 104 के सापेक्ष 110 समूह को विभिन्न क्रियाकलापों हेतु वित्त पोषित कराया गया।

24.2.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 जनपद में कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 1775.843 लाख के सापेक्ष ₹ 1546.150 लाख व्यय किये गये तथा 7.6790 लाख मानव दिवसों का सृजन हुआ।

24.2.3 इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 के आवास निर्माण का वार्षिक लक्ष्य 2772 के सापेक्ष 2850 आवासों का निर्माण किया गया तथा कुल उपलब्ध धनराशि ₹ 1001.279 लाख के सापेक्ष ₹ 939.75 लाख व्यय किया गया।

24.2.4 नवीन सरलीकृत ऋण सह-अनुदान आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में आवास निर्माण का वार्षिक लक्ष्य 90 के सापेक्ष 90 आवासों का निर्माण कराया गया जिस पर ₹ 9.00 लाख का व्यय किया गया।

24.2.5 उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 में गतवर्ष में लाभान्वित बेरोजगार नवयुवक/युवतियों को द्वितीय व तृतीय किश्त उपलब्ध करायी गयी। शासन से इस मद में प्राप्त ₹ 6.91 लाख के सापेक्ष ₹ 6.08 लाख व्यय किया गया।



तालिका 24.2

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, हरिद्वार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण

क्र० सं०	योजना का नाम	वित्तीय प्रगति (लाख ₹ में)			भौतिक प्रगति		
		वित्तीय वर्ष	कुल उपलब्ध धनराशि	कुल व्यय धनराशि	ईकाई	वार्षिक लक्ष्य	पूर्ति
1	2	3	4	5	7	8	9
1	एस0जी0एस0वाई0	2011.12	200.162	180.51	संख्या में	108	109
		2012.13	212.120	207.380	संख्या में	104	110
2	इन्दिरा आवास योजना	2011.12	1393.037	1277.54	संख्या में	2405	2412
		2012.13	1001.279	939.750	संख्या में	2772	2850
3	नवीन सरलीकृत ऋण सह-अनुदान आवास योजना	2011.12	8.70	8.70	संख्या में	140	87
		2012.13	9.00	9.00	संख्या में	90	90
4	आई0डब्ल्यू0डी0पी0 / हरियाली योजना	2011.12	206.5973	165.31	हैक्टेयर में	7689	2944
		2012.13	138.950	122.06	हैक्टेयर में	6552	2026
5	मनरेगा	2011.12	2437.401	2117.988	ला.मा. दि.	—	10.8288
		2012.13	1775.843	1546.150	ला.मा. दि.	—	7.6790
6	उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना	2011.12	10.05	10.05	संख्या में	—	—
		2012.13	6.91	6.08	संख्या में	—	—

24.3 गन्ना विकास विभाग

24.3.1 जनपद हरिद्वार में वर्ष 2012-13 में गन्ना का क्षेत्रफल 58400 हैक्टेयर था। पेराई सत्र 2012-13 में जनपद की तीनों चीनी मिलों पर निम्न प्रकार गन्ना मूल्य देय था, जिसके सापेक्ष समस्त गन्ना मूल्य कृषकों को प्रदान कर दिया गया है।

तालिका 24.5

जनपद की चीनी मिलों की गन्ना मूल्य की देयता

क्र० सं०	चीनी मिल का नाम	गन्ना मूल्य (लाख ₹ में)	
		देय	भुगतान
1	लक्सर	28342.00	21870.36
2	लिब्वरहेडी	16992.00	11018.44
3	इकबालपुर	13232.00	8071.08

पेराई सत्र 2012-13 में जनपद की तीनों चीनी मिलों द्वारा कुल 206.71 लाख कुन्तल गन्ना पेराई की गई।

24.3.2 उन्नतशील गन्ना बीज उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत गन्ना उत्पादकों को शुद्ध कीट रहित उच्च शर्करायुक्त एवं अधिक उत्पादन देने वाली प्रजातियों के बीज उत्पादन कार्यक्रम को संचालित किया जाता है। कार्यक्रम में गन्ना किसानों के क्षेत्रफलानुसार गन्ना शोध केन्द्र से केन्द्रक बीज उपलब्ध कराकर वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करते हुए बुवाई करायी जाती है। इस कार्यक्रम में केन्द्रक बीज से आधार पौधशाला प्रतिष्ठित होती है। पौधशाला रखने वाले सामान्य जाति के कृषकों को ₹ 1,000.00 प्रति हैक्टेअर तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को ₹ 2,000.00 प्रति हैक्टेअर की दर से कृषकों को लागत की भरपाई के रूप में अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत इस योजना में सामान्य जाति के कृषकों के लिए ₹ 4.90 लाख तथा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए ₹ 1.10 लाख शासन से अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष 2200 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

24.3.3 बीज/भूमि उपचार कार्यक्रम के अन्तर्गत भूमि उपचार तथा गन्ने की फसल को कीट रोग रहित उत्पन्न करने के लिए कीटनाशक औषधि का उपयोग किया जाता है। योजना में सम्पूर्ण कीटनाशक औषधि गन्ना समिति ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है। अनुदान की धनराशि कृषकों को कीटनाशक वितरण में अनुदान के बराबर मूल्य कम कर ऋण दिया जाता है तथा कम की गयी धनराशि समिति को कृषकों के खाते में समायोजित करने के लिए भेज दी जाती है। वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत इस योजना में सामान्य जाति के लिए ₹ 5.50 लाख तथा अनुसूचित जाति के लिए ₹ 1.20 लाख शासन से अवमुक्त हुए जिसके सापेक्ष 2700 कृषकों को लाभान्वित किया गया।

24.3.4 पेडी प्रबन्ध कार्यक्रम में पेडी गन्ना फसल को कीटों से बचाने के लिए इनके नियंत्रण में प्रयुक्त होने वाले कीटनाशकों पर सभी चीनी मिल क्षेत्रों में 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत इस योजना में ₹ 6.00 लाख शासन से अवमुक्त हुए जिसका उपयोग कर लिया गया।

24.3.5 अन्तर्ग्रामीण सड़क निर्माण योजना के अन्तर्गत गन्ना विकास विभाग अपने तकनीकी कर्मचारियों के माध्यम से चीनी मिल परिक्षेत्र में एक ग्राम से दूसरे ग्राम को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने तथा ग्रामों को क्रय केन्द्र से जोड़ने अथवा मुख्य सड़क से जोड़ने का कार्य करती है। इस योजना के अन्तर्गत धन की उपलब्धता गन्ना कृषकों से गन्ना आपूर्ति पर कटौती/अंशदान तथा प्रशासनिक शुल्क से प्राप्त आय तथा गन्ना विकास परिषदों को प्राप्त विकास कमीशन तथा चीनी मिलों के अंशदान 25 प्रतिशत तथा शासन से 75 प्रतिशत अंशदान प्राप्त करके सड़क निर्माण किया जाता है। वर्ष 2012-13 के अन्तर्गत इस योजना में कुल ₹ 78.00 लाख शासन से अवमुक्त हुआ, जिसके सापेक्ष 6.725 किमी⁰ सड़कों का निर्माण कराया गया।

तालिका 24.6

गन्ना विकास विभाग वर्षवार की प्रगति

क्र०सं०	विवरण	2010-11	2011-12	2012-13
1	2	3	4	5
1	गन्ना क्षेत्रफल (हैक्टेयर)	57403.00	57894.00	58400.00
2	गन्ना पेराई (लाख कुन्तल)	161.09	179.75	206.71
3	चीनी उत्पादन (लाख कुन्तल)	16.73	16.51	19.37

24.4 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग

25.4.1 महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग अपनी सेवाओं के माध्यम से छः वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, छः माह तक दूध पिलाने वाली माताओं तथा किशोरी बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास में सक्रिय सहयोग प्रदान करते हुए एक स्वस्थ व सशक्त समाज के निर्माण में योगदान करता है। विभाग 06 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य सम्बंधी स्थिति को सुधारने, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की देखभाल करने, मृत्युदर, रुग्णता, कुपोषण और बच्चों द्वारा बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति को कम करने, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने एवं प्रभावकारी तालमेल कायम करने, उचित स्वास्थ्य और पोषण सम्बंधी शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य एवं पोषण सम्बंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ावा देने सम्बंधित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा सुविधा उपलब्ध करा कर करता है।



24.4.2 जनपद में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 3056 एवं स्वीकृत मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या 123 है। वर्तमान में 2767 आंगनबाड़ी केन्द्र तथा 39 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में 2673 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों तथा 2353 आंगनबाड़ी सहायिका कार्यरत है।

24.4.3—कुक्कड फूड योजना के अन्तर्गत जनपद में संचालित समस्त बाल विकास परियोजनाओं में कुक्कड फूड योजना के अन्तर्गत पोषाहार को विभिन्न व्यंजनों के रूप में परोसकर बच्चों में सफाई एवं आहार सम्बंधी सही आदतों का विकास करने तथा माताओं को बच्चों सम्बंधी उचित पोषण शिक्षा देने के उद्देश्यों से वितरित किया जा रहा है।

24.4.4—“नन्दा देवी कन्या योजना” जो कि महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा 01 जनवरी 2009 से लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 01 जनवरी 2009 से बी0पी0एल0/आय प्रमाण पत्र के आधार पर परिवार में जन्म लेने वाली एक ही परिवार की अधिकतम 02 कन्याओं को रू0 5000.00 की धनराशि भारतीय जीवन बीमा निगम के माध्यम से एफ0डी0 के रूप में दी जाती है।

24.4.5—आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बीमा योजना:—इस योजना के अन्तर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों/सहायिकाओं को बीमित किया जाता है। जिसमें सामान्य मौत में 30,000 एवं दुर्घटना पर 75,000 की धनराशि बीमित के परिवार को दी जाती है। तथा उनके दो बच्चे जो 9 वीं से 12 वीं कक्षा तक अध्ययनरत हैं को छमाही 100—100 रू0 छात्रवृत्ति जीवन बीमा योजना के माध्यम से भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाती है।

24.4.6—सबला योजना:—इस योजना के अन्तर्गत 11 वर्ष से 18 वर्ष तक स्कूल जाने वाले बालिकाओं एवं स्कूल छोड़ चुकीं किशोरियों को व्यावसायिक एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ए0टी0आई0 नैनीताल के माध्यम से चलाया जा रहा है। इसके अन्तर्गत 121365 किशोरियों को चिन्हित किया गया है, और इसे 11 बाल विकास परियोजनाओं के माध्यम से संचालित किया जा रहा है।

24.4.7-घरेलू हिंसा अधिनियम—जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अर्न्तगत जिला संरक्षण अधिकारी नामित किया गया है। जिसमें वादी पक्ष के बयान निर्धारित प्रारूप पर तथा विपक्षीगण द्वारा 10 रु० के स्टाम्प पर अपने बयान नोटरी द्वारा तैयार कराकर अद्योहस्ताक्षरी कार्यालय में प्राप्त कराये जाते हैं। जो कि मूल रूप में समयवाधि के अर्न्तगत मा० न्यायालय को भेजा जाता है।

24.4.8-तीलू रौतेली पुरस्कार योजना—तीलू रौतेली पुरस्कार के अर्न्तगत उत्कृष्ट कार्य करने पर पुरस्कार के रूप में रु० 10000 एक साल एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।

24.4.9-आंगनवाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार योजना—विभिन्न क्षेत्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती / सहायिकाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने पर रु० 5000 की धनराशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया।

24.5 विभिन्न विभागों से प्राप्त आय :- अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न विभागों से प्राप्त आय का विवरण निम्नानुसार है।

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष 2010-2011 की वास्तविक उपलब्धि	वर्ष 2011-2012 की वास्तविक उपलब्धि	वित्तीय वर्ष 2012-13 की प्रगति		
				वार्षिक लक्ष्य	क्रमिक उपलब्धि	प्रतिशत (वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष)
1	2	3	4	5	6	7
1	बचत विभाग	12699.79	-1037.16	3950.00	4597.08	116.38%
2	मनोरंजन कर विभाग	170.08	297.59	419.77	532.67	126.90%
3	स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन	9029.20	10757.85	12000.00	13328.26	111.07%
4	राजकीय परिवहन	3459.65	4227.70	8018.00	5086.18	63.43%
5	आबकारी विभाग	11711.98	12625.53	13888.09	16782.60	120.84%
6	खनिज विभाग	1368.52	1427.87	1570.65	1512.38	96.29%
7	वन विभाग	926.96	827.76	893.05	617.85	69.18%
8	सुख साधन कर	77.67	90.42	99.46	110.04	110.64%
9	बाट तथा माप विभाग	45.27	53.02	51.00	87.61	171.78%
10	व्यापार कर विभाग	84763.19	114586.82	137503.94	133958.26	97.42%
11	पूर्ति विभाग	10.60	1.09	1.20	1.68	140.00%
12	मुख्य देय	74.05	180.63	128.86	131.60	102.13%
13	विविध देय	1234.74	1857.01	1940.26	1804.74	93.02%
14	लोक निर्माण विभाग	45.49	58.12	80.00	5.55	6.94%
15	विपणन विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0
16	श्रम विभाग	4.49	4.73	10.82	5.69	52.59%
17	सहकारिता विभाग	5448.66	4406.50	5281.14	5220.10	98.84%
18	भूमि विकास बैंक	6.58	29.78	99.57	10.39	10.43%
19	स्थानीय निकाय विभाग	738.97	1302.82	1042.77	948.73	90.98%
20	परिवहन निगम	3254.37	3812.03	4550.88	4426.16	97.26%
21	जिला पंचायत	193.80	191.77	210.00	203.70	97.00%
22	मण्डी समितियों	944.04	1063.49	967.59	1111.27	114.85%
23	विद्युत विभाग	86583.56	98266.97	117920.36	112660.79	95.54%
24	जल संस्थान	574.00	579.99	1004.80	760.99	75.74%
कुल योग		223365.66	255612.33	311632.21	303904.32	97.52%

राष्ट्रीय बचत संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग के अधीन लघु बचतों को प्रोत्साहित करने हेतु किया गया है। राष्ट्रीय बचत योजनायें जन साधारण में अधिक लोकप्रिय होने के कारण भारत-सरकार द्वारा विभाग का राज्य एवं जिला स्तर तक विस्तार किया गया है।

वर्तमान समय में इस योजना के प्रचार-प्रसार कार्यों का संचालन राज्य सरकार के राष्ट्रीय बचत विभाग द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जारी विभिन्न योजना में विभाग द्वारा कोई नीति या संरचना नहीं बनाई जाती है क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत समस्त नियम/अधिनियम वित्त मंत्रालय भारत-सरकार के द्वारा बनाये जाते हैं। राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत जमा की जाने वाली धनराशि का संचालन डाक विभाग के डाकघरों के माध्यम से किया जाता है। देश के इस सबसे बड़े नेटवर्क के अन्तर्गत कुल शुद्ध जमा धनराशि का शत-प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को उसके विकास कार्यों के सफल सम्पादन हेतु ऋण सहायता के रूप में उपलब्ध कराती है।

2- राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत वर्तमान समय में निम्नलिखित योजना चल रही है जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है -

1-	डाकघर मासिक आय योजना	8.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज प्रतिमाह देय। परिपक्वता अवधि 6 वर्ष।
2-	15 वर्षीय पी0पी0यफ0खाता	ब्याज दर 8.7 प्रतिशत। ब्याज आयकर मुक्त।
3-	डाकघर सावधि जमा खाता	एक वर्षीय खाते में 8.2, दो वर्षीय खाते में 8.2, तीन वर्षीय खाते में 8.3 तथा पांच वर्षीय खाते में 8.4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय।
4-	5 वर्षीय आर0डी0खाता	8.3 प्रतिशतकी दर से त्रैमासिक आधार पर ब्याज देय। 5 वर्ष बाद 1000 रु0 के खाते में रु0 74453-00 रु0 मिलते हैं।
5-	डाकघर बचत खाता	साधारण बचत खाते में 3.50 की दर से ब्याज देय।
6-	5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र	ब्याज दर 8.5 प्रतिशत चक्रवृद्धि, रु0 10000-00 के 5 वर्ष बाद रु0 15162-00 देय है।
7-	बरिष्ठ नागरिक बचत योजना	60 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति इस खाते को खोल सकता है जिस पर 9.2 प्रतिशत की दर से ब्याज त्रैमासिक स्तर पर देय जिसका भुगतान त्रैमासिक आधार पर किया जाता है।
8-	10 वर्षीय राष्ट्रीय बचत पत्र	ब्याज दर 8 प्रतिशत चक्रवृद्धि, 10000-00 रु0 के 10 वर्ष बाद 23660-00 रु0 देय है।

3- लक्ष्य पूर्ति - राज्य सरकार द्वारा अपने अधिक से अधिक वित्तीय संसाधनों को जुटाने के लिये वार्षिक योजना के आकार के अनुरूप राष्ट्रीय बचत योजना के अन्तर्गत प्रदेश का लक्ष्य निर्धारित करती है जिसका वितरण प्रदेश के जनपदों में किया जाता है जनपद स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति में समस्त सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों/ एजेन्टों का सहयोग रहता है। जनपद में स्थित सभी कार्यालयों में लक्ष्यों का विभाजन उनकी क्षमता एवं बचत की

सम्भावनाओं के आधार पर वर्ष के प्रारम्भ में किया जाता है। तथा सभी नियुक्त एजेंटों को भी व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं।

वर्ष 2012-13 में जनपद हरिद्वार का लक्ष्य 3950-00 लाख रुपये निर्धारित था जिसके सापेक्ष 4597.11 लाख रु० जमा हुआ तथा जनपद शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करने में सफल रहा।

4- अभिकर्ताओं की प्रगति- राष्ट्रीय बचत योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति में अभिकर्ताओं की मुख्य भूमिका रहती है। योजना में कार्य करने हेतु तीन प्रकार के अभिकर्ता क्रमशः एस०ए०यस०, महिला प्रधान तथा पी०पी०यफ० अभिकर्ता नियुक्त होते हैं।

5-वेतन से सीधी बचत योजना की प्रगति -राष्ट्रीय बचत योजनाओं में प्रत्येक कर्मचारियों का योगदान प्राप्त करने हेतु सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों में वेतन से सीधी बचत योजना लागू है जिनके माध्यम से प्रत्येक कर्मचारी के वेतन से निर्धारित धनराशि, संबंधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा काट कर डाकघर में धनराशि जमा की जाती है। जनपद के 78 कार्यालयों के कर्मचारियों द्वारा इन योजनाओं में सहयोग किया जा रहा है।

५ ५ ५ ५ ५